

जीवन में सफलता केवल ऊँचा उठने में नहीं, बल्कि ऊँचा उठकर दूसरों को सहारा देने में है। सच्ची महानता वही है, जो दूसरों के जीवन में आशा, विश्वास और खुशियाँ भर दे।

परिवहन विशेष - लोकतंत्र - राजधानी विशेष दिल्ली में लोकतंत्र बनाम सुरक्षा का महासंग्राम! जंतर-मंतर बना सत्ता की अग्निपरीक्षा

57 मेट्रो स्टेशन बंद, ट्रेनें रद्द और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा प्रदर्शन का विवाद - क्या शांतिपूर्ण आंदोलन से घबरा गई सरकार ?

1. तथ्य क्या है - पूरे विवाद की टाइमलाइन
- प्रदर्शन का कारण: 9 अक्टूबर 2026 को मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे और मतदाता सुची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में कथित अनियमितताओं को लेकर 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर कॉलेज जनता पार्टी (CJP) का प्रस्तावित प्रदर्शन।
- प्रशासन की तैयारी:
- रेलवे बोर्ड का आदेश 9 अक्टूबर - नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन पर 10 अक्टूबर सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक पहुंचने वाली कुछ मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों को शुरुआती स्टेशन से रद्द।
- दिल्ली पुलिस के अनुरोध पत्र No. 1520-23/SO/Jt.CP/Tpt. Range दिनांक 08.10.2026 पर DMRC को निर्देश - 57 मेट्रो स्टेशनों के Entry/Exit Gate बंद। प्रभाव: रैड, येलो, ब्लू, वायलेट, पिंक, मैजेंटा लाइन। लिस्ट में - राजीव चौक, सेंट्रल सेक्रेटरीएट, मंडी हाउस, ITO, कश्मीरी गेट, जामा मस्जिद आदि।
- पुलिस का पक्ष: जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं, भारी पुलिस व अर्धसैनिक बल तैनात, धारा 144 जैसी स्थिति।

2. दो पक्ष, दो तर्क - मुख्य बिंदु
A. CJP और समर्थकों का आरोप:
- जंतर-मंतर लोकतंत्र का निर्धारित प्रदर्शन स्थल है, शांतिपूर्ण विरोध हमारा संवैधानिक अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(a)(b)) है।
- संस्थापक का बयान - रयूवाओं से डरती है सरकार तो पूरा देश बंद कर दे।
- 10 हजार सदस्यों को हिरासत का दावा - (स्वतंत्र पृष्ठ नहीं, पार्टी का आरोप)।
- AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष का वीडियो - गिरफ्तारियों, परिवहन बैन को 'अघोषित आपातकाल' और 1942 भारत छोड़ो आंदोलन से तुलना - यह राजनीतिक

परिवहन विशेष
PARIVAHAN VISHESH

संस्करण : अक्टूबर 2026 | अंक : 147 | मूल्य : ₹5.00 | शुक्रवार, 23 अक्टूबर 2026

PARIVAHAN VISHESH NEWSPAPER • स्थापना 2023 • RNI DELHIN/2023/86499

दिल्ली में लोकतंत्र बनाम सुरक्षा का महासंग्राम!

जंतर-मंतर बना सत्ता की अग्निपरीक्षा

57 मेट्रो स्टेशन बंद, ट्रेनें रद्द और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा विवाद

जंतर-मंतर - हजारों प्रदर्शनकारी, शांतिपूर्ण विरोध जारी

दिल्ली मेट्रो - 57 स्टेशन बंद, मेट्रो सेवा स्थगित

सुप्रीम कोर्ट - विवाद पहुंचा सर्वोच्च न्यायालय

क्या शांतिपूर्ण आंदोलन से घबरा गई सरकार?

संपादकीय विश्लेषण :
राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के नाम पर लोकतंत्र और नागरिक स्वतंत्रता के बीच टकराव बढ़ गया है। 23 अक्टूबर 2026 को जंतर-मंतर पर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण विरोध के लिए एकत्र हुए। प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया कई मेट्रो ट्रेनों को सेवाएं रद्द कर दी गईं। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जांचिका के रूप में पहुंच गया है, जहां नागरिक अधिकारी और सुरक्षा व्यवस्था के बीच संतुलन पर बहस अग्रिम हो गई है।

प्रभाव:

- दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन ठप, लाखों यात्री प्रभावित
- विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण, सुरक्षा बल तैनात
- कानूनी विशेषज्ञ: मौलिक अधिकारों की रक्षा आवश्यक

एडवोकेट किशन सन्मुखदास भावनानी - गोंदिया महाराष्ट्र

संजय कुमार बाठला - प्रधान संपादक | Sanjay Kumar Bathla - Editor in Chief Parivahan Vishesh Newspaper | RNI DELHIN/2023/86499 | संस्करण अक्टूबर 2026

टिप्पणी है, न्यायिक निष्कर्ष नहीं।

B. प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों का तर्क:

- राष्ट्रीय राजधानी में भीड़, यातायात, सार्वजनिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था सर्वोपरि।
- एहतियाती कदम - प्रदर्शन के दौरान भगदड़, घुसपैठ या असामाजिक तत्वों से बचाव।
3. सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला - सुरक्षा या नागरिक अधिकार ?
- वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में चिंता जताई - शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए आ रहे लोगों को रेल, मेट्रो, इंटरनेट पर रोक क्यों ?

- दिल्ली पुलिस को खुली छूट देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया।

- CJI सूर्यकांत की पीठ की टिप्पणी - युवाओं के भविष्य और परिवारों पर कानूनी कार्रवाई के प्रभाव को ध्यान में रखा जाए। आदतन अपराधियों या गंभीर अपराधों के आरोपियों को पहले की सुरक्षा का लाभ स्वतः नहीं मिलेगा।

- अदालत का संतुलन: न तो कानून-व्यवस्था को नकारा, न ही नागरिक अधिकार को - Proportionality (आनुपातिकता) का सिद्धांत।

4. संवैधानिक और कानूनी कसौटी - अनुच्छेद 19(1)(a) - भाषण,

19(1)(b) - शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार, पर 19(2), 19(3) के तहत सार्वजनिक व्यवस्था पर व्यक्तिगत प्रतिबंध।

- अनुच्छेद 21 - जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जिसमें आवागमन शामिल।

- सुप्रीम कोर्ट के नजीर: मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत संघ (2018) - जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति, पर संख्या और समय पर नियमन वैध।

- चुनावी निष्पक्षता: आरोप लगे तो संस्थाओं (ECI) को तथ्याधारित, पारदर्शी जवाब देना चाहिए - यही संस्थागत विश्वसनीयता है।

5. एडवोकेट किशन भावनानी जी का समग्र निष्कर्ष - लोकतंत्र की असली परीक्षा यह घटना किसी एक पार्टी या एक प्रदर्शन तक सीमित नहीं। यह भारत के लोकतंत्र में असहमति के प्रबंधन (Dissent Management) की कसौटी है।

- न तो बिना प्रमाण हसरकार डर गई का निष्कर्ष उचित है, न ही सुरक्षा के नाम पर हर प्रतिबंध को स्वतः न्यायसंगत मानना।

- असली सवाल: क्या प्रशासन सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखते हुए नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकता है ? क्या चुनावी प्रक्रिया से जुड़े आरोपों का जवाब पारदर्शिता से दिया जाएगा ?

- लोकतंत्र की मजबूती का निर्धारण नरों से नहीं, बल्कि संस्थाओं की जवाबदेही, कानून के निष्पक्ष अनुपालन और जनता के विश्वास से होता है।

फुटर:
सममुखदास भावनानी - गोंदिया महाराष्ट्र। विशेषज्ञ स्तंभकार प्रस्तुति - संजय कुमार बाठला - प्रधान संपादक | Sanjay Kumar Bathla - Editor in Chief | Parivahan Vishesh Newspaper | RNI DELHIN/2023/86499 | संस्करण अक्टूबर 2026

9 अक्टूबर रात 9 बजे से 10 अक्टूबर को स्थिति सामान्य होने तक 57 मेट्रो स्टेशनों के गेट बंद / मेट्रो की फ्रीक्वेंसी कम रह सकती है।

संजय कुमार बाठला

कारण - जंतर मंतर और अन्य जगहों पर प्रस्तावित प्रदर्शन और संवेदनशील जगहों पर भीड़ की आशंका।
पत्र जारी: Office of Joint Commissioner of Police, Transport Range, PHQ, 3rd Floor, Jai Singh Road, New Delhi
दिनांक: 08.10.2026 | No. 1520-23/SO/Jt. CP/Tpt. Range
DMRC को निर्देश: Rajneesh Gupta, IPS, Joint Commissioner
बंद हो सकने वाले 57 स्टेशन - पूरी लिस्ट
मध्य दिल्ली / नई दिल्ली (प्रदर्शन के सबसे नजदीक):
1. Janpath, 2. Patel Chowk, 3. Central Secretariat, 4. Lok Kalyan Marg, 5. Rajiv Chowk, 6. New Delhi, 7. Seva Teerth (Udyog Bhawan), 8. Mandi House, 9. Barakhamba Road, 10. ITO, 11. Delhi Gate, 12. Khan Market, 13. R.K. Ashram Marg, 14. Jhandewalan, 15. Supreme Court, 16. Indraprastha, 17. Shivaji Stadium, 18. Dilli Haat INA, 19. Jor Bagh, 20. Arjanagarh
दक्षिण-पूर्व / जामिया-ओखला:
21. Sarai Kale Khan-Nizamuddin, 22. Lajpat Nagar, 23. Jangpura, 24. Ashram, 25. Kalindi Kunj, 26. Jasola, 27. Jamia Millia Islamia, 28. Okhla Vihar, 29. Chawri Bazar, 30. Jama Masjid, 31. Karol Bagh, 32. Rajendra Place, 33. Vishwavidyalaya, 34. Vidhan Sabha, 35. Civil Lines, 36. Kashmere Gate, 37. Inderlok, 38. G.T.B. Nagar, 39. Kanhaiya Nagar, 40. Netaji Subhash Place, 41. Azadpur
उत्तर-पश्चिम / रोहिणी / पूर्वी दिल्ली:
42. Adarsh Nagar, 43.

OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF POLICE: TRANSPORT RANGE, PHQ, 3RD FLOOR, JAI SINGH ROAD, NEW DELHI

No. /SO/Jt. CP/Tpt. Range, dated, New Delhi, the 08.10.2026.

To

Sh. Vikas Kumar, Managing Director, Delhi Metro Rail Corporation (DMRC), Barakhamba Road, New Delhi.

Subject: - Regarding closing of entry/exit gates of Metro Station on 09th and 10th Oct 2026.

Sir,

In view of the proposed protests at Jantar Mantar and other locations in New Delhi District on 10.10.2026, and likelihood of unruly mob movement towards sensitive locations, frequency of Metro trains passing through the following Metro stations may be reduced and their entry/exit gates may be closed from 09:00 PM on 09.10.2026, continuing on 10.10.2026 till the situation normalizes:

1. Janpath	15. Supreme Court	28. Jamia Millia Islamia	43. Adarsh Nagar
2. Patel Chowk	16. Indraprastha	29. Okhla Vihar	44. Jahangir Puri
3. Central Secretariat	17. Shivaji Stadium	30. Chawri Bazar	45. Haiderpur Badli Mor
4. Lok Kalyan Marg	18. INA (both metro lines)	31. Jama Masjid	46. Majlis Park
5. Rajiv Chowk	19. Hauz Khas	32. Karol Bagh	47. Shalimar Bagh
6. New Delhi	20. Jor Bagh	33. Rajendra Place	48. Seelampur
7. Seva Teerth (Udyog Bhawan)	21. Arjanagarh	34. Vishwavidyalaya	49. Maujpur
8. Mandi House	22. Sarai Kale Khan-Nizamuddin	35. Vidhan Sabha	50. Jafraabad
9. Bara Khamba Road	23. Lajpat Nagar	36. Civil Lines	51. Welcome
10. ITO	24. Jangpura	37. Kashmere Gate	52. Yamuna Vihar
11. Delhi Gate	25. Ashram	38. Inderlok	53. Khazuri Khas
12. Khan Market	26. Kalindi Kunj	39. G.T.B. Nagar	54. Shahdara
13. R.K. Ashram Marg	27. Jasola	40. Kanhaiya Nagar	55. Rithala
14. Jhandewalan		41. Netaji Subhash Palace	56. Rohini East
		42. Azadpur	57. Rohini West

It is therefore, requested to kindly issue necessary directions to the concerned DMRC officers/staff for taking appropriate measures in this regard.

Delhi Metro Police Control Room Numbers: 22183903, 8745001709 & 6828400576

Rajneesh Gupta, IPS
Joint Commissioner of Police, Transport Range: New Delhi.

No. 1520-23/SO/Jt. CP/Tpt. Range, dated, New Delhi, the 08.10.2026.

Copy to :-

- OSD to CP/Delhi for kind information.
- Sh. Surashis Choudhary, Chief Security Commissioner (CSC)/DMRC for information and necessary action.
- SO to Spl. CP/PTS Div. for kind information.
- DCP/Metro for necessary action.

Jahangir Puri, 44. Haiderpur Badli Mor, 45. Majlis Park, 46. Shalimar Bagh, 47. Seelampur, 48. Maujpur, 49. Jafraabad, 50. Welcome, 51. Yamuna Vihar, 52. Khajuri Khas, 53. Shahdara, 54. Rithala, 55. Rohini East, 56. Rohini West
छात्रों के लिए आपके संदेश:
> सुचना - कल 50+ मेट्रो स्टेशन बंद रहने की संभावना
> जंतर मंतर पर प्रदर्शन के कारण दिल्ली पुलिस के आदेश पर 9 अक्टूबर रात 9 बजे से 10 अक्टूबर तक 57 मेट्रो

स्टेशनों के Entry/Exit गेट बंद या कम फ्रीक्वेंसी रहेगी।
> मेट्रो से कॉलेज आने वाले सभी साथी कृपया घर से पर्याप्त समय लेकर निकलें, वैकल्पिक मार्ग/बस का उपयोग करें और DMRC की आधिकारिक अपडेट देखते रहें।
> हेल्पलाइन - Delhi Metro Police Control Room: 22183903, 8745001709 & 6828400576
संजय कुमार बाठला - प्रधान संपादक | Parivahan Vishesh | RNI DELHIN/2023/86499

परिवहन विशेष - न्याय विशेष - राजधानी विशेष - ब्रेकिंग न्यूज स्रोत: High Court of Delhi (General Admn-I Branch) | No.100/G-4/Genl.-I/DHC Dated 09.10.2026 | Registrar General - Reetesh Singh

HIGH COURT OF DELHI: NEW DELHI (GENERAL ADMN-I BRANCH)

No.100/G-4/Genl.-I/DHC
Dated 09.10.2026

NOTIFICATION

It is notified for information of all concerned that on Saturday, the 10th October, 2026, all Delhi District Courts situated across 7 court complexes shall remain open and functional as per the following guidelines:-

- The proceedings and hearing of all cases, including civil and criminal at New Delhi District Courts, i.e., at Patiala House Court Complex and at Rouse Avenue Court Complex shall be done virtually only;
- Such Judicial Officers posted at Patiala House Court Complex and at Rouse Avenue Court Complex who are unable to reach their respective Courts, may hold the Court through virtual proceedings;
- In all the District Courts across Delhi, no adverse orders shall be passed in any case for want of appearance of litigants, Advocates, witnesses or accused persons and in case of urgency in any case, the matter be adjourned for a short date;
- In all the District Courts across Delhi, all under trial prisoners shall be produced through virtual mode only.

BY ORDER OF THE COURT

Sd/-
(REETESH SINGH)
REGISTRAR GENERAL

Endst. No. 2308-2360/ G-4/Genl.-I/DHC

Dated: 09.10.2026

दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! 10 अक्टूबर को सभी जिला अदालतें खुली रहेंगी - वर्चुअल मोड में होगी सुनवाई
जंतर-मंतर प्रदर्शन और 57 मेट्रो स्टेशन बंदी के बीच न्याय व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए ऐतिहासिक गाइडलाइन

लेख संजय कुमार बाठला प्रधान संपादक परिवहन विशेष

1. तथ्य क्या है - अधिसूचना में क्या कहा गया ? दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिफाई किया है कि शनिवार, 10 अक्टूबर 2026 को दिल्ली के 7 कोर्ट कॉम्प्लेक्स में स्थित सभी जिला अदालतें खुली और कार्यशील रहेंगी, लेकिन विशेष गाइडलाइन के साथ। यह फैसला उसी दिन प्रस्तावित प्रदर्शन, मेट्रो-रेल पाबंदियों और आवागमन में बाधा को देखते हुए लिया गया है।
2. मुख्य 4 बिंदु - जो हर वकील, पक्षकार को जानना जरूरी है
(i) पटियाला हाउस और राजज एवेन्यू में केवल वर्चुअल सुनवाई: नई दिल्ली जिला अदालतें - पटियाला हाउस कोर्ट कॉम्प्लेक्स और राजज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में सभी सिविल और क्रिमिनल मामलों की सुनवाई केवल वर्चुअली होगी।

परिवहन विशेष
PARIVAHAN VISHESH — NEWSPAPER | Est. 2023

दिल्ली | अंक 1042 | अक्टूबर 2026

सोमवार • 9 अक्टूबर 2026 | मूल्य: ₹5

दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला!

10 अक्टूबर को सभी जिला अदालतें खुली रहेंगी - वर्चुअल मोड में होगी सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट, रोसाहा रोड, नई दिल्ली - हाईकोर्ट ऑफ़ दिल्ली

अधिकारिक अधिसूचना — हाईकोर्ट ऑफ़ दिल्ली
HIGH COURT OF DELHI: NEW DELHI (GENERAL ADMN-I BRANCH)
No.100/G-4/Genl.-I/DHC
Dated 09.10.2026

It is notified for information of all concerned that on Saturday, the 10th October, 2026, all Delhi District Courts situated across 7 court complexes shall remain open and functional as per the following guidelines:-

NOTIFICATION
(i) The proceedings and hearing of all cases, including civil and criminal at New Delhi District Courts, i.e., at Patiala House Court Complex and at Rouse Avenue Court Complex shall be done virtually only;
(ii) Such Judicial Officers posted at Patiala House Court Complex and at Rouse Avenue Court Complex who are unable to reach their respective Courts, may hold the Court through virtual proceedings;
(iii) In all the District Courts across Delhi, no adverse orders shall be passed in any case for want of appearance of litigants, Advocates, witnesses or accused persons and in case of urgency in any case, the matter be adjourned for a short date;
(iv) In all the District Courts across Delhi, all under trial prisoners shall be produced through virtual mode only.

BY ORDER OF THE COURT
Sd/-
(REETESH SINGH)
REGISTRAR GENERAL
Endst. No. 2308-2360/ G-4/Genl.-I/DHC | Dated: 09.10.2026

संजय कुमार बाठला - प्रधान संपादक | Sanjay Kumar Bathla - Editor in Chief | Parivahan Vishesh Newspaper | RNI DELHIN/2023/86499 | संस्करण अक्टूबर 2026 | वेबसाइट: www.parivahanvishesh.com | ईमेल: editor@parivahanvishesh.com

स्रोत: हाईकोर्ट ऑफ़ दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 09.10.2026

(ii) न्यायिक अधिकारियों को वर्चुअल कोर्ट चलाने की छूट: जो Judicial Officers पटियाला हाउस या राजज एवेन्यू कोर्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे, वे वीडियो कॉन्फ्रेंस से कोर्ट चला सकते हैं।
(iii) अनुपस्थिति पर कोई प्रतिकूल आदेश नहीं: दिल्ली की सभी जिला अदालतों में पक्षकार, वकील, गवाह या आरोपी के पेश न होने पर कोई adverse order नहीं पारित होगा। अर्जेंट मामलों को छोटी तारीख पर adjourn किया जाएगा।
(iv) विचाराधीन कैदियों की पेशी केवल वर्चुअल: सभी जिला

अदालतों में सभी under trial prisoners की पेशी केवल वर्चुअल मोड से होगी।
3. इस अधिसूचना के मायने - लोकतंत्र बनाम सुरक्षा के बीच न्याय का संतुलन यह वही दिन है जिस दिन आपने पिछले लेख में लिखा था - 57 मेट्रो स्टेशन बंद, ट्रेनें रद्द, जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का विवाद सुप्रीम कोर्ट तक।
- हाईकोर्ट ने न तो न्याय बंद किया, न ही लोगों को जोखिम में डाला।
- वर्चुअल मोड से न्याय की निरंतरता (Continuity of

Justice) और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित।
- वकीलों और पक्षकारों को राहत - न आने पर केस खारिज या वारंट का डर नहीं।
4. संपादकीय टिप्पणी यह अधिसूचना बताती है कि दिल्ली की न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक या सुरक्षा चुनौती में नागरिकों के न्याय तक पहुंच (Access to Justice) को बाधित नहीं होने देती। शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार और न्यायपालिका का कामकाज - दोनों लोकतंत्र के दो पहिये हैं।
फुटर:

स्रोत - High Court of Delhi द्वारा जारी अधिसूचना No. 100/G-4/Genl.-I/DHC Dated 09.10.2026 /Registrar General (Reetesh Singh) प्रस्तुति - संजय कुमार बाठला - प्रधान संपादक | Sanjay Kumar Bathla - Editor in Chief | Parivahan Vishesh Newspaper | RNI DELHIN/2023/86499 | संस्करण अक्टूबर 2026

समाधान शिविर जन सेवा की दिशा में अहम कदम

मुख्यमंत्री ने जिलावार समाधान प्रकोष्ठ पोर्टल की समीक्षा करते हुए दिए निर्देश

समाधान शिविर, जनसंवाद पोर्टल और एसएमजीटी पोर्टल की शिकायतों का हो प्रभावी समाधान : डीसी

डीसी वर्षा खांगवाल ने वीसी के माध्यम से सीएम के समक्ष रखी समाधान शिविर की प्रगति रिपोर्ट

झज्जर, 09 अक्टूबर

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुक्रवार को जिलावार समाधान प्रकोष्ठ पोर्टल की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने जिला में शिकायतों की स्थिति को लेकर गंभीरता से चर्चा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें और शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाधान शिविर जन सेवा की दिशा में अहम कदम है। वीसी के दौरान डीसी वर्षा खांगवाल ने जिला में सोमवार व गुरुवार को लगने वाले समाधान शिविरों की प्रगति और समाधान पोर्टल की विस्तार से जानकारी दी।



शिकायतों के समाधान उपरांत पोर्टल पर अपडेट करना जरूरी

डीसी वर्षा खांगवाल ने वीसी उपरांत जिलाभर के अधिकारियों के साथ बैठक कर समाधान शिविरों के संचालन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी वरिष्ठ अधिकारी अपने विभाग से संबंधित प्रत्येक शिकायत का समाधान संवेदनशीलता व गंभीरता से करें। नागरिकों की बातों को ध्यान से सुनें और उनको बताएं कि आपकी समस्या का समाधान तय समय सीमा में कर दिया जाएगा। जिन शिकायतों

का समाधान हो जाता है उनको पोर्टल पर अपडेट अवश्य करें।

डीसी ने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा समाधान शिविरों की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। समाधान शिविर, जनसंवाद पोर्टल और एसएमजीटी पोर्टल की शिकायतों का सभी विभाग शीघ्र और प्रभावी समाधान करें। विभागाध्यक्ष शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया की पूरी निगरानी स्वयं करें। जिस समस्या का समाधान विभाग द्वारा स्थानीय स्तर पर नहीं हो रहा, उक्त शिकायत को संबंधित एसडीएम के माध्यम

से एडीसी और डीसी के समक्ष रखें। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास ही शासन - प्रशासन की प्राथमिकता होती है।

यह रहे मौजूद

समीक्षा बैठक में डीसीपी फैजल खान, एडीसी जगनिवास, एसडीएम झज्जर रवि मीणा, एसडीएम बहादुरगढ़ अभिनव सिवाच, सीईओ जिला परिषद मनीष फोगाट, एसडीएम बादली विशाल कुमार, एसडीएम बेरी रेणुका नौदल, सीटीएम ऋतु सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

नवाचार से युवा लिखेंगे विकसित भारत की नई कहानी : दिनेश शेखावत

राजकीय नेहरू पीजी कॉलेज में 'सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज' के तहत कार्यशाला आयोजित नौकरी तलाशने के बजाय रोजगार सृजन पर दें जोर, सामाजिक समस्याओं के समाधान में तकनीक का करें उपयोग

झज्जर, 09 अक्टूबर [जिलाभर में 17 अक्टूबर तक डीसी वर्षा खांगवाल के मार्गदर्शन में चल रहे सेवा संकल्प अभियान को निरंतर बढ़ावा मिल रहा है, इसी कड़ी में शुक्रवार को शहर के बहादुरगढ़ रोड स्थित राजकीय नेहरू पीजी कॉलेज में 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत 'सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज' विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम में जिला संयोजक दिनेश शेखावत ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए विद्यार्थियों को नवाचार, रचनात्मक सोच और उद्यमिता के माध्यम से विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि युवा देश का भविष्य हैं नहीं, बल्कि विकास की नई दिशा तय करने वाले शिकारक नौ हैं। युवाओं की प्रतिभा और तकनीकी ज्ञान का सही उपयोग समाज से जुड़ी समस्याओं के समाधान में किया जाना चाहिए। नौकरी तलाशने वाले नहीं, रोजगार सृजन का माध्यम बनें युवा योद्धा

जिला संयोजक दिनेश शेखावत ने कहा कि देश की प्रगति



केवल डिग्री हासिल करने से नहीं, बल्कि नए विचारों और प्रभावी समाधानों को विकसित करने से लेगी। आज के युवाओं को नौकरी तलाशने के साथ-साथ रोजगार सृजन बनने की दिशा में भी आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों को आधुनिक कृषि, सौर ऊर्जा, जल संरक्षण, पराली एवं कचरा प्रबंधन और साइबर सुरक्षा जैसे विषयों पर नए विचार विकसित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि जब युवा अपनी तकनीकी समझ और रचनात्मक सोच से किसी सामाजिक समस्या का

समाधान तलाशते हैं, तो यही प्रयास आगे चलकर स्टार्टअप और उद्यमिता का आधार बनते हैं। श्रेष्ठ नवाचारी विचारों को मिलेगा प्रोत्साहन जिला संयोजक ने विद्यार्थियों को 'सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज' की स्पर्धे का ज्ञानकारी देते हुए कहा कि युवाओं के नवाचारी विचारों को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रोत्साहन और तकनीकी सहायता के अवसर उपलब्ध हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने बेहतर आईडिया को आधिकारिक पोर्टल पर

पंजीकृत करवाने और इस पहल का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महाविद्यालय के कार्यकारी प्राचार्य डॉ. सुरेंद्र कुमार पनिया ने अतिथियों का स्वागत किया और विद्यार्थियों से अपनी रचनात्मक ऊर्जा को नवाचार से जोड़ने की अपील की। सरकारी योजनाओं से स्वरोजगार को दें नई झुन कार्यालया में जिला खोज केंद्र के खोज विस्तार अधिकारी गंभीर दीव्या ने विद्यार्थियों को स्वरोजगार, स्टार्टअप और उद्यमिता से संबंधित विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, सांख्यिकी प्राकल्प, क्रेडिट गारंटी योजना और इनक्यूबेशन सपोर्ट सॉल्ट युवाओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम के बोर्डर अधिकारी प्रो. अशोक कुमार ने छात्रों को आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण और प्रोजेक्ट सबमिशन की प्रक्रिया से अवगत कराया। गंध संगवाल डॉ. रेणुका गंधावत ने किया। ये गणमान्य व्यक्ति रहे मौजूद इस अवसर पर हरियाणा राष्ट्रीय नौकरी वाली नौ सेवा संघ के प्रदेश प्रध्यक्ष मनोज शर्मा, डॉ. राकेश कुमार, एड्योकेट धीरज कोशिक, एड्योकेट अमित नागर सहस्रक गोमाधव प्रसाद, विलास शर्मा, दिनेश साहू महाविद्यालय के सभ्य स्टाफ सदस्य विद्यार्थी मौजूद रहे।

दूहन चौक से अग्रसेन चौक तक सड़क निर्माण जल्द पूरा करें अधिकारी : डीसी

डीसी वर्षा खांगवाल ने किया सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण, पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

दिल्ली रोड स्थित रामलीला मैदान में कार्यक्रमों के चलते इस मार्ग पर रहती है वाहनों की अधिक आवाजाही

झज्जर, 09 अक्टूबर।

डीसी वर्षा खांगवाल ने शुक्रवार शाम शहर के कुलदीप चौक के साथ लगती सड़कों का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाते हुए इसे जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान उनके साथ

नगर परिषद झज्जर के चेयरमैन जिले सिंह सैनी भी मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि इन दिनों झज्जर शहर में विभिन्न सड़कों के पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। इसी कड़ी में डीसी वर्षा खांगवाल ने अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर सड़क निर्माण कार्य की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधिकारियों को दूहन चौक से अग्रसेन चौक तक सड़क निर्माण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि आमजन को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना

पड़े। डीसी ने कहा कि दिल्ली रोड स्थित रामलीला मैदान में अक्सर धार्मिक एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। इसके चलते इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही अधिक रहती है। ऐसे में सड़क का सुचारु और बेहतर होना बेहद जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य निर्धारित गुणवत्ता

मानकों के अनुरूप किया जाए और कार्य को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण कार्य के दौरान आमजन की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाए। संबंधित अधिकारी आपसी तालमेल के साथ कार्य करते हुए निर्माण कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करवाना सुनिश्चित करें, ताकि शहरवासियों और यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को राहत मिल सके। *यह अधिकारी रहे उपस्थित*

इस अवसर पर एसडीएम झज्जर रवि मीणा, तहसीलदार शेखर नरवाल, पीडब्ल्यूडी के अधीक्षक अभियंता जगवीर सिंह, एक्सईएम सुमित कुमार, व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष केशव सिंघल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति और संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।



किसानों को फसल का समय पर भुगतान और हर कार्य में पारदर्शिता सुनिश्चित करें अधिकारी : डीसी

डीसी वर्षा खांगवाल के निर्देश पर जिले की अनाज मंडियों में अधिकारियों ने लिया बाजरा खरीद व्यवस्थाओं का जायजा

गेट पास, सीसीटीवी, फसल उठान और अटल कैटिन सहित सुविधाओं का किया निरीक्षण, किसानों व आदतियों की समस्याएं सुनकर समाधान के दिए निर्देश

झज्जर, 9 अक्टूबर। डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा कि अनाज मंडियों में किसानों को प्रवेश करने और गेट पास बनवाने में किसी प्रकार की अनावश्यक परेशानी या देरी नहीं होनी चाहिए। निर्धारित प्रक्रिया के तहत किसानों को समय पर गेट पास जारी किए जाएं और उनकी फसल का भुगतान निर्धारित समय पर सुनिश्चित किया जाए। खरीद प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में पारदर्शिता बनाए रखना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। डीसी के मार्गदर्शन में शुक्रवार को जिले की विभिन्न अनाज मंडियों में अधिकारियों ने दौरा कर बाजरा खरीद व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान झज्जर अनाज मंडी में एसडीएम रवि मीणा, बहादुरगढ़ अनाज मंडी में एसडीएम अभिनव सिवाच, ढाकला अनाज मंडी में जीएम अनीत यादव, बेरी अनाज मंडी में एसडीएम रेणुका नौदल, पाटोदा अनाज मंडी में सीटीएम रिंतु, बादली अनाज मंडी में एडीएम विशाल, मातनहेल अनाज मंडी में सीईओ मनीष तथा बूबलधरा मारवा अनाज मंडी में ईओ सिद्धार्थ ने



व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मंडियों में बाजरे की आवक, खरीद प्रक्रिया, गुणवत्ता जांच, फसल उठान तथा किसानों को उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं की स्थिति देखी। उन्होंने गेट पास जारी करने की व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी और मंडी परिसर में किसानों की सुविधा से जुड़े प्रबंधों की भी जांच की। अधिकारियों को निर्देश दिए

गए कि खरीद प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार सुचारु और पारदर्शी ढंग से संचालित की जाए। डीसी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडियों में किसानों के लिए साफ-सफाई, पेयजल, शौचालय और अटल कैटिन सहित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध रहें। खरीदी गई फसल का उठान समय पर करवाया जाए, ताकि मंडियों में अनावश्यक भीड़ न बढ़े और

किसानों को अपनी उपज बेचने में परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि खरीद प्रक्रिया की लगातार निगरानी की जाए और संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने किसानों और आदतियों की समस्याएं भी सुनी तथा संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर उनका समाधान करने के निर्देश दिए।

एसआईआर 2026 : कोई भी योग्य मतदाता न छूटे नोटिस एवं सुनवाई मामलों के समयबद्ध निस्तारण पर फोकस : डीसी



जिलाभर में लगाए गए विशेष शिविर व घर-घर सर्वे में 3356 लंबित मामलों की हुई सुनवाई नोटिस प्राप्त करने वाले मतदाताओं से निर्धारित तिथि पर सुनवाई में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने की अपील

झज्जर, 9 अक्टूबर।

जिलाभर में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाताओं को मिले नोटिस एवं सुनवाई से संबंधित मामलों के समयबद्ध निस्तारण पर निर्वाचन आयोग और प्रशासन का विशेष फोकस है। उन्होंने बताया कि तीन

दिनों तक चले विशेष शिविर व घर-घर सर्वे में 3356 लंबित मामलों की सुनवाई की गई है। यह जानकारी डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी वर्षा खांगवाल ने शुक्रवार को दी। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए जिलाभर में सभी 807 मतदान केंद्रों के लिए बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किए गए हैं। डीसी ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को लंबित सुनवाई मामलों के शीघ्र निस्तारण, प्रभावी मॉनिटरिंग व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

डीसी ने बताया कि बीएलओ नोटिस की सुनवाई समय पर समाप्त करने के लिए ऐसे मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर व घर-घर सर्वे के दौरान दस्तावेज प्राप्त करेंगे, जहां पर नोटिस प्राप्त होने पर अभी तक सम्बन्धित मतदाताओं द्वारा आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं करवाये गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी वर्षा खांगवाल ने सभी ऐसे पात्र मतदाताओं से अपील है जिन्होंने अभी तक दस्तावेज जमा नहीं करवाए हैं वे अपने दस्तावेज बूल लेवल अधिकारी को जमा करवाएं ताकि सभी योग्य मतदाताओं के नाम 6 नवम्बर 2026 को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची में शामिल हो सकें।

आईटीआई गुढ़ा में गुंजा 'वोकल फॉर लोकल' का संदेश

-प्रशिक्षार्थियों ने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने का लिया संकल्प, स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग से आत्मनिर्भरता को मिलेगी मजबूती

झज्जर, 9 अक्टूबर

देश की आत्मनिर्भरता और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, झज्जर एट गुढ़ा में सेवा संकल्प अभियान के तहत 'वोकल फॉर लोकल' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डीसी वर्षा खांगवाल के दिशा-निर्देशानुसार तथा संस्थान के प्राचार्य जीतपाल के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में प्रशिक्षार्थियों को स्थानीय एवं स्वदेशी उत्पादों को अपनाने के लिए जागरूक किया गया।

स्थानीय उत्पादों को अपनाना, स्थानीय सपनों को संवारना

प्राचार्य जीतपाल ने प्रशिक्षार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि स्थानीय स्तर पर तैयार होने वाले उत्पादों को प्राथमिकता देना केवल खरीदारी का विषय नहीं, बल्कि स्थानीय कारीगरों, शिल्पकारों, बुनकरों और छोटे



परिवहन विशेष - न्याय विशेष - जन-अधिकार विशेष - सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

अब पुलिस , अधिकारी , लोकसेवक पर FIR के लिए पहले सरकारी मंजूरी जरूरी नहीं - सुप्रीम कोर्ट

BNSS 218 के तहत 120 दिन में फैसला नहीं तो मंजूरी स्वतः स्वीकृत मानी जाएगी - भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग पर लगाम

संजय कुमार बाठला

1. तथ्य क्या है – फैसले का सार (2 बड़े बदलाव)
A. FIR और जांच – बिना मंजूरी शुरू:
सुप्रीम कोर्ट के अनुसार लोक सेवक के खिलाफ FIR दर्ज करने या जांच (Investigation) शुरू करने के लिए पहले से सरकारी मंजूरी (Sanction) जरूरी नहीं है। पुलिस या जांच एजेंसी सीधे FIR दर्ज कर जांच कर सकती है। मंजूरी तब जरूरी है जब अदालत संज्ञान (Cognizance) लेकर औपचारिक सुनवाई / दायल शुरू करती है। यानी चार्जशीट के बाद कोर्ट में केस चलने से पहले।

B. नया समयबद्ध नियम – BNSS धारा 218:
सरकार को मंजूरी के अनुरोध (Sanction Request) पर 120 दिनों के भीतर फैसला लेना होगा।
120 दिन में निर्णय न लेने पर मंजूरी Deemed Granted / स्वतः स्वीकृत मानी जाएगी। अब फाइल दबाकर केस लटकाया नहीं जा सकेगा।
2. संवैधानिक अधिकार, नियम-कानून, न्यायिक आदेश कानूनी प्रावधान:
– BNSS, 2023 की धारा 218 (पुरानी CrPC 197) : लोक सेवक पर अभियोजन चलाने से पहले सरकार की मंजूरी।
– भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, धारा 17A और 19: जांच और अभियोजन के लिए मंजूरी प्रक्रिया।



महत्वपूर्ण : 120 दिन में निर्णय न होने पर मंजूरी स्वतः स्वीकृत मानी जाएगी

– सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया - धारा 218 का उद्देश्य ईमानदार अधिकारी को झूठे मुकदमे से बचाना है, भ्रष्ट को बचाना नहीं।
मूल अधिकार और संवैधानिक मूल्य: – अनुच्छेद 14 – समानता का अधिकार: कानून के सामने सभी बराबर, लोकसेवक को अलग विशेषाधिकार नहीं।
– अनुच्छेद 21 – न्याय का अधिकार: पीड़ित को त्वरित न्याय, जांच में अनावश्यक देरी अनुच्छेद 21 का उल्लंघन।
– अनुच्छेद 51A – कर्तव्य: भ्रष्टाचार मुक्त शासन नागरिकों के हित में।
न्यायिक नज़रें जिनका हवाला: – लालिता कुमारी बनाम यूपी सरकार (2014) : संज्ञेय अपराध में FIR दर्ज करना पुलिस का अनिवार्य कर्तव्य।
– डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी बनाम मनमोहन सिंह (2012) : मंजूरी पर फैसला समयबद्ध होना चाहिए।
– हालिया संविधान पीठ का मत: FIR / Investigation प्रशासनिक कार्य है, Cognizance न्यायिक कार्य – मंजूरी केवल न्यायिक स्तर पर।
3. जनहित में प्रभाव – आम आदमी को क्या फायदा ?
– थाने में पुलिस अधिकारी के खिलाफ FIR से मना नहीं कर सकेगा - पहले मंजूरी लाओ का बहाना खत्म।
– सरकारी विभाग मंजूरी की फाइल 2-3 साल तक नहीं लटका सकेगे, 120 दिन की लिमिट।
– भ्रष्टाचार, मारपीट, पद के दुरुपयोग, अवैध वसूली जैसे मामलों में सीधी जांच संभव।
– पीड़ित को RTI से पछुने का अधिकार – मंजूरी अनुरोध किस दिन

भेजा, 120 दिन कब पूरे हुए।
4. सावधानी और संपादकीय नोट:
– यह फैसला ईमानदार अधिकारी के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण FIR की छूट नहीं देता। झूठी FIR पर BNS झूठी सूचना के तहत कार्रवाई होगी।
– मंजूरी अभी भी जरूरी है, पर केवल दायल शुरू होने से पहले। इसलिए जांच के बाद भी सरकार साक्ष्य देखकर मंजूरी से इनकार कर सकती है।
फुटर:
संकलन एवं प्रस्तुति – संजय कुमार बाठला – प्रधान संपादक।
Sanjay Kumar Bathla – Editor in Chief | Parivahan Vishesh Newspaper | RNI DELHIN/2023/86499 | संस्करण अक्टूबर 2026

हंसराज कॉलेज के एंथ्रोपोलॉजिकल फोरम द्वारा “द मेकिंग ऑफ ए चेंजमेकर: नॉलेज, पर्पज़ एंड पब्लिक सर्विस” विषय पर प्रेरणादायक सत्र का आयोजन



परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर 2026:
दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज के एंथ्रोपोलॉजिकल फोरम द्वारा UnderStand UPSC के सहयोग से शुक्रवार, 9 अक्टूबर 2026 को कॉलेज के लाइब्रेरी ऑडिटोरियम में “द मेकिंग ऑफ ए चेंजमेकर: नॉलेज, पर्पज़ एंड पब्लिक सर्विस” विषय पर एक ज्ञानवर्धक एवं संवादपरक सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को ज्ञान, नेतृत्व, सामाजिक उत्तरदायित्व और जनसेवा के महत्व से परिचित कराना तथा उन्हें राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका के प्रति जागरूक करना था।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती मीनाक्षी लेखी उपस्थित रहीं। वे पूर्व सांसद होने के साथ-साथ विदेश मंत्रालय एवं संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएँ दे चुकी हैं। वे भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अधिवक्ता भी हैं। उनकी गरिमायुी उपस्थिति ने सार्वजनिक जीवन, नेतृत्व, युवा सहभागिता और सामाजिक परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण विषयों को विशेष महत्त्व प्रदान किया।
इस अवसर पर डॉ. सी. पी. कौशिक, जिन्हें मानव विज्ञान, मानव विज्ञान वैकल्पिक विषय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण के अध्यापन में दस वर्षों से अधिक का अनुभव है; सुश्री दिशा द्विवेदी, जिन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 में ऑल इंडिया रैंक (AIR) 672 प्राप्त की; तथा सुश्री आँचल शर्मा, जिन्होंने यूपीएससी भारतीय वन सेवा (IFoS) परीक्षा 2025 में AIR 5 प्राप्त की, की उपस्थिति रही।
सत्र में एक परिवर्तनकारी व्यक्तित्व के निर्माण में ज्ञान, निरंतर प्रयास, स्पष्ट उद्देश्य और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। चर्चा ने इस विचार को रेखांकित किया कि शिक्षा और आलोचनात्मक चिंतन केवल व्यक्तिगत सफलता के साधन नहीं हैं, बल्कि इनके माध्यम से समाज की समस्याओं को समझने, सरकारात्मक परिवर्तन लाने और राष्ट्र निर्माण में सार्थक योगदान देने के अवसर भी प्राप्त होते हैं।
कार्यक्रम ने विद्यार्थियों को सिविल सेवाओं, सार्वजनिक नेतृत्व और सामाजिक परिवर्तन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार करने का अवसर प्रदान किया। अनुभवी शिक्षाविद् और सिविल सेवा परीक्षाओं में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों की उपस्थिति ने विद्यार्थियों को सम्पर्ण, अनुशासन, निरंतर प्रयास और व्यापक सामाजिक उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता के महत्व को समझने का अवसर दिया।
सत्र का समापन जिम्मेदार नेतृत्व, सामाजिक जागरूकता और जनसेवा की भावना को प्रोत्साहित करने के संदेश के साथ हुआ। इस आयोजन के माध्यम से एंथ्रोपोलॉजिकल फोरम ने विद्यार्थियों में बौद्धिक जिज्ञासा, सामाजिक संवेदनशीलता और राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने की अपनी प्रतिबद्धता को पुनः सुदृढ़ किया।
कार्यक्रम में कॉलेज के विद्यार्थियों एवं कॉलेज समुदाय के सदस्यों की सहभागिता रही, जिससे यह आयोजन संवाद, ज्ञान और प्रेरणा का एक सार्थक मंच बना।

जंतर-मंतर आंदोलन, विदेशी फंडिंग और राजनीतिक जवाबदेही: आखिर दाँव पर क्या लगा हो सकता है?

राजनीतिक सतर्कता, प्रमाण और राष्ट्रहित के नाम एक अपील
क्या हमने नारों और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से आगे बढ़कर यह समझने की कोशिश की है कि इन आंदोलनों के पीछे संभावित राजनीतिक हित क्या हो सकते हैं और इनके परिणाम देश के लिए फ़ायदे की गंभीर हो सकते हैं ?
10 अक्टूबर 2026 को जंतर-मंतर पर प्रस्तावित आंदोलन को आयोजकों ने मतदाता सूची, विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की जवाबदेही से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित बताया है। विपक्षी दलों और छात्र संगठनों ने भी सार्वजनिक रूप से इन्हीं मुद्दों को उठाया है। दिल्ली पुलिस ने देर से आवेदन मिलने, पिछले प्रदर्शन में नियमों के कथित उल्लंघन और कानून-व्यवस्था संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए प्रस्तावित प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया है।
ये सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट किए गए तथ्य हैं। इन तथ्यों को आंदोलन के पीछे किसी कथित गुप्त साजिश के आरोपों से अलग करके देखना आवश्यक है।
लेकिन FCRA बिल का मुद्दा भी गंभीर है और उस पर अलग से चर्चा होनी चाहिए।
Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026 अर्थात विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक, 2026 पर

संयुक्त संसदीय समिति विचार कर रही है। समिति के प्रकाशित कार्यक्रम के अनुसार, संबंधित हितधारकों की सुनवाई 13 अक्टूबर 2026 को निर्धारित है, न कि 12 अक्टूबर को। इसलिए इस विधेयक की प्रगति पर सवाल उठाना और उसके संभावित प्रभावों की समीक्षा करना पूरी तरह उचित है।
हालाँकि, उपलब्ध जानकारी से यह साबित नहीं होता कि 10 अक्टूबर का आंदोलन विशेष रूप से FCRA बिल को रोकने के लिए आयोजित किया गया है, या विपक्षी दल, ईसाई मिशनरी, इस्लामिक संगठन और दूसरे समूह मिलकर इसे रोकने की कोई साझा साजिश कर रहे हैं।
फिर भी, इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्न अवश्य उठाए जा सकते हैं।
1. क्या किसी बड़े आंदोलन का इस्तेमाल राजनीतिक ध्यान भटकाने के लिए किया जा सकता है ?
जब संसद में कोई महत्वपूर्ण विधेयक विचाराधीन होता है, तो राजनीतिक दलों के पास जनता का ध्यान किसी दूसरे, अधिक भावनात्मक मुद्दे की ओर मोड़ने का प्रोत्साहन हो सकता है।
एक बड़ा आंदोलन टीवी की सुर्खियों पर हावी हो सकता है, संसद का समय और राजनीतिक ऊर्जा खर्च कर सकता है, सरकार पर दबाव बढ़ा सकता है तथा अपने समर्थकों को एकजुट करने का माध्यम बन सकता है।

यह राजनीति में संभव रणनीति है। लेकिन केवल समय का मेल देखकर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वर्तमान आंदोलन का वास्तविक उद्देश्य भी यही है। इसके लिए ठोस प्रमाण चाहिए।
2. विदेशी फंडिंग पर नियंत्रण क्यों महत्वपूर्ण है ?
भारत में विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले संगठनों पर FCRA के तहत नियम लागू होते हैं। विदेशी धन के उपयोग में पारदर्शिता, वित्तीय जवाबदेही, उचित ऑडिट और सिद्ध उल्लंघनों के विरुद्ध कार्रवाई राष्ट्रीय हित के महत्वपूर्ण विषय हैं।
यदि किसी संगठन को विदेश से धन मिलता है, तो जनता को यह जानने का अधिकार है कि पैसा कहाँ से आया, कहाँ खर्च हुआ और क्या उसका उपयोग भारतीय कानून के अनुरूप हुआ।
लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण दूसरा पक्ष भी है: वैध शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, मानवीय सहायता, धार्मिक कार्यों या धार्मिक गतिविधियों को केवल विदेशी धन प्राप्त करने के कारण राष्ट्रविरोधी नहीं कहा जा सकता।
असली कसौटी होनी चाहिए—धन का स्रोत क्या है, उसका इस्तेमाल कहाँ हुआ ? कानून का उल्लंघन हुआ या नहीं, और आरोपों के समर्थन में क्या प्रमाण उपलब्ध है ?
3. राजनीतिक टकराव से किसे लाभ हो सकता है ?

लंबे समय तक चलने वाले राजनीतिक विवादों से कुछ नेताओं, राजनीतिक संगठनों और प्रचारकों को मीडिया में अधिक जगह, जनसमर्थन, राजनीतिक पहचान या चुनावी लाभ मिल सकता है। कभी-कभी विवाद का समाधान करने के बजाय उसे जीवित रखना भी राजनीतिक रूप से लाभदायक हो सकता है।
लेकिन किसी को राजनीतिक लाभ मिलना अपने आप में साजिश का प्रमाण नहीं है।
इसी प्रकार, यह आरोप कि कोई नेता जानबूझकर निर्दोष छात्रों की जान जोखिम में डालना चाहता है या किसी प्रदर्शन को सांप्रदायिक हिंसा में बदलने की योजना बना रहा है, तभी स्वीकार किया जाना चाहिए जब उसके समर्थन में विश्वसनीय और विशिष्ट प्रमाण हों।
राजनीतिक संदेह की जाँच होनी चाहिए, लेकिन संदेह को प्रमाण बताकर पेश नहीं करना चाहिए !
4. यदि आंदोलन हिंसक हो जाए तो देश को क्या नुकसान हो सकता है ?
यदि किसी प्रदर्शन में हिंसा भड़कती है, तो उसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं।
निर्दोष छात्र और आम नागरिक घायल हो सकते हैं, गिरफ्तार हो सकते हैं या उनकी जान तक जा सकती है।
सार्वजनिक संपत्ति, दुकानों, कारोबार और परिवहन सेवाओं को नुकसान पहुँच



सकता है।
अफवाहें और भड़काऊ संदेश विभिन्न समुदायों के बीच अविश्वास पैदा कर सकते हैं।
संसद का बहुमूल्य समय विधायी समीक्षा और रचनात्मक बहस के बजाय टकराव में खर्च हो सकता है।
लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जनता का भरोसा कमजोर पड़ सकता है।
राजनीतिक और सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ सकता है, जबकि जनता की वास्तविक समस्याएँ अनसुली रह सकती हैं।
ये हिंसक राजनीतिक टकराव के वास्तविक संभावित खतरे हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि 10 अक्टूबर को हिंसा होना निश्चित है।
5. जिम्मेदार नागरिकों को क्या

माँग करनी चाहिए ?
सबसे पहले, सरकार को FCRA संशोधन विधेयक के प्रावधानों और उनके संभावित प्रभावों को स्पष्ट करना चाहिए। यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि कानून का दुरुपयोग रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय मौजूद हों।
दूसरे, विपक्ष को विधेयक की आलोचना संसद, संसदीय समिति और लोकतांत्रिक बहस के माध्यम से करनी चाहिए। यदि किसी प्रावधान पर आपत्ति है, तो संबंधित धारा और उसके पीछे का तर्क जनता के सामने रखा जाना चाहिए।
तीसरे, आंदोलन के आयोजकों की जिम्मेदारी है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे और वैध प्रशासनिक निर्देशों का पालन समुदायों के बीच अविश्वास पैदा कर सकते हैं।
संसद का बहुमूल्य समय विधायी समीक्षा और रचनात्मक बहस के बजाय टकराव में खर्च हो सकता है।
लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जनता का भरोसा कमजोर पड़ सकता है।
राजनीतिक और सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ सकता है, जबकि जनता की वास्तविक समस्याएँ अनसुली रह सकती हैं।
ये हिंसक राजनीतिक टकराव के वास्तविक संभावित खतरे हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि 10 अक्टूबर को हिंसा होना निश्चित है।
5. जिम्मेदार नागरिकों को क्या

इस्तेमाल करे, सामाजिक विभाजन को बढ़ावा दे या अपने व्यक्तिगत अथवा चुनावी लाभ के लिए आम नागरिकों की सुरक्षा को दाँव पर लगा दे।
लेकिन दूसरी ओर, सरकार की आलोचना करने वाले हर आंदोलन को भी स्वतः देशविरोधी नहीं कहा जा सकता। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध और सरकार से जवाब माँगने का अधिकार भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
हमें सरकार और विपक्ष—दोनों को उनके वास्तविक आचरण, उपलब्ध प्रमाणों और संवैधानिक मूल्यों के आधार पर परखना चाहिए, केवल नारों, अनुमानों या नफरत के आधार पर नहीं।
भारत का भविष्य इतना महत्वपूर्ण है कि उसे राजनीतिक अवसरवाद के हाथों बंधक नहीं बनाया जा सकता।
संसद को कानून पर बहस करने दीजिए। विश्वसनीय आरोपों की जाँच होने दीजिए। शांतिपूर्ण नागरिकों को अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने दीजिए। और जो भी हिंसा करता है, उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए।
सतर्क रहिए, लेकिन भय मत फैलाइए। जवाबदेही माँगिए, लेकिन संदेह को प्रमाण मत बनाइए। और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को कभी भी अपने राष्ट्र की सुरक्षा, एकता और भविष्य से अधिक महत्वपूर्ण मत होने दीजिए।

सिंहस्थ कुंभ मेला 2027 को देखते हुए, नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1,618 पदों की भरती करने की तैयारी की है।

सचिव मालतीताई त्र्यंबकराव मंडलिक

परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक

सिंहस्थ कुंभ मेला 2027 को देखते हुए, नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1,618 पदों की भरती करने की तैयारी की है।
हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने के लिए कमर कस ली है। कुंभ मेले के दौरान शहर में आने वाले लाखों भक्तों, साधु-संतों, महंत्तों और टूरिस्ट की सेहत का ध्यान रखने के लिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट 1,618 और मेडिकल और पैरामेडिकल कर्मचारियों को मानदेय पर रखेगा। जनरल असेंबली ने इसके लिए 20 करोड़ 24 लाख रुपये के खर्च को मंजूरी दी है। सिंहस्थ कुंभ मेले के दौरान बड़ी संख्या में भक्त नासिक आएंगे। इस दौरान फैलने वाली बीमारियों, महामारी, दुर्घटनाओं और कई तरह की इमरजेंसी फैलने की संभावना है। इसके लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मौजूदा अस्पतालों में हेल्थ सुविधाओं को मजबूत करने के



अलावा, नए अस्पताल और सब-हॉस्पिटल शुरू करने की योजना बनाई गई है।
साथ ही, शहर की मुख्य जगहों और गोदाघाट इलाके में टेम्पररी अस्पताल, हेल्थ सेंटर और इंटीग्रेड केयर यूनिट बनाने की तैयारी की जा रही है। क्योंकि मौजूदा मैनपावर इस पूरे हेल्थ सिस्टम को चलाने के लिए काफी नहीं होगी, इसलिए मंगलवार को हुई जनरल मीटिंग में एक एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पर बड़ी संख्या में एक्सट्रा मेडिकल ऑफिसर

जाएगा। कुंभ मेले के दौरान इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, पेशेंट केयर, एपिडेमिक कंट्रोल, हेल्थ सर्वे और बचाव के उपायों को असरदार तरीके से लागू करने के लिए एक्सट्रा मैनपावर जरूरी होगी।
डॉक्टर्स समेत नर्सिंग स्टाफ की बहुत जरूरत: नगर निगम के प्रस्ताव के मुताबिक, एक्सट्रा मैनपावर में 127 स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर, 141 MBBS मेडिकल ऑफिसर, 201 BAMS मेडिकल ऑफिसर, 233 स्टाफ नर्स, 165 ANM, 198 फार्मास्युटिकल मैनुफैक्चरिंग ऑफिसर और कुल 553 स्पोर्ट स्टाफ रखे जाएंगे। इस तरह कुल 1,618 कर्मचारियों को मानदेय के आधार पर भर्ती किया जाएगा। इनमें से 1,054 कर्मचारियों को तीन महीने के लिए और 564 कर्मचारियों को चार महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट या मानदेय के आधार पर रखा जाएगा। प्रस्ताव में कुंभ मेले की असल जरूरतों के हिसाब से इस मैनपावर की संख्या में बदलाव की संभावना का भी जिक्र है।

भारत सेवाश्रम संघ में सनातन हिन्दू धर्म-शिक्षा संस्कृति सम्मेलन आयोजित

भारतीय शिक्षा संस्कृति का आदर्श' विषय पर प्राचार्य प्रो. सतीश सिंह चंद्र ने रखे विचार

गयाजी पितृपूष के पावन अवसर पर भारत सेवाश्रम संघ, गयाजी के परिसर में गुरुवार, 8 अक्टूबर को सनातन हिन्दू धर्म-शिक्षा संस्कृति सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में ‘भारतीय शिक्षा संस्कृति का आदर्श’ विषय पर विस्तार से चर्चा की गई।
कार्यक्रम में प्रधान अतिथि के रूप में गया कॉलेज, गया के प्राचार्य प्रो. सतीश सिंह चंद्र की गरिमामय उपस्थिति रही। उन्होंने भारतीय शिक्षा एवं संस्कृति की परंपरा, उसके आदर्शों तथा वर्तमान समय में उसकी प्रासंगिकता पर विस्तार से प्रकाश डाला।
प्राचार्य प्रो. सतीश सिंह चंद्र ने गयाजी और गयासुर के धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व की चर्चा करते हुए इसके ऐतिहासिक एवं पौराणिक संदर्भों को विस्तार से बताया। उन्होंने



कहा कि गयाजी सनातन धर्म की आस्था का प्रमुख केंद्र है और पितृपूष के दौरान यहां होने वाला पिंडदान एवं श्राद्ध कर्म पूर्वजों की मोक्ष-कामना से जुड़ी महत्वपूर्ण धार्मिक परंपरा है। उन्होंने पिंडदान के महत्व और इसकी सनातन परंपरा भी विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला।
इस अवसर पर डॉ. मार्कण्डेय पाण्डेय, सहायक प्राध्यापक, गया कॉलेज, गया सहित अनेक साधु-संत एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे। सम्मेलन में भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और धार्मिक मूल्यों को जन-जन तक पहुंचाने तथा नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने पर भी जोर दिया गया।

GST विशेष / व्यापार विशेष - व्यापार के लिए बड़ी राहत -57वीं GST परिषद बैठक (8 अक्टूबर 2026, भारत मंडपम) के 17 ऐतिहासिक फैसले



संपादकीय

चिंतन-मनन



देश के व्यापार, उद्योग और करदाताओं के लिए GST व्यवस्था को अधिक सरल, पारदर्शी और राहतकारी बनाने की दिशा में 57वीं GST परिषद की बैठक के फैसले महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। 8 अक्टूबर 2026 को भारत मंडपम में हुई इस बैठक में अनुपालन का बोझ कम करने, अनावश्यक मुकदमेबाजी पर अंकुश लगाने, इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) से जुड़े मुद्दों को स्पष्ट करने, रिफंड प्रक्रिया तेज करने और छोटे व्यापारियों को राहत देने जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया गया। इन प्रस्तावित सुधारों का उद्देश्य कारोबार में पारदर्शिता बढ़ाना, करदाताओं के लिए नियमों को अधिक व्यावहारिक बनाना और व्यापारिक गतिविधियों में निश्चितता सुनिश्चित करना है। प्रस्तुत है बैठक के 17 प्रमुख फैसलों का सार, जो GST 2.0 की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखे जा रहे हैं।

GST 2.0 की ओर कदम – कम मुकदमे, तेज रिफंड, आसान कारोबार

- 17 फैसलों का सार – जनहित में:
1. दरों में कोई बदलाव नहीं: स्थिरता बनी रहेगी, रेट से जुड़े मामले अलग बैठक में।

2. गिरफ्तारी-प्रॉसेक्यूशन में बड़ी राहत: गिरफ्तारी के अधिकार खत्म करने का प्रस्ताव, प्रॉसेक्यूशन की सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़, न्यूनतम सजा का प्रावधान होगा। छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत।

3. सामान्य जुर्माना 25,000 से घटाकर 10,000: जहां कोई विशेष जुर्माना तय नहीं।

4. 10,000 से कम पर कोई नोटिस नहीं: छोटी राशि के लिए GST नोटिस जारी नहीं होगा – लिटिगेशन घटेगा।

5. GST कार्यवाही का मानकीकरण: नोटिस, प्री-

- नोटिस कंसल्टेशन, सुनवाई और आदेशों के लिए सभी राज्यों में एक समान फ्रेमवर्क।
6. वैध ITC दावेदारों को सुरक्षा: सप्लायर को चूक के कारण ईमानदार खरीदार का ITC रिजेक्ट न हो, इसके लिए Officers' Committee- रिपोर्ट अगली बैठक में।
7. ITC का दायरा बढ़ा: कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा, टेलीकॉम टावर, फैक्ट्री के बाहर पाइपलाइन, प्री सैंपल, एक्सपायर्ड/नष्ट स्टॉक (कानून के अनुसार) पर ITC अब मिलेगा।
8. पुनर्विक्रय सेवाओं को राहत: होटल आवास, रेस्टोरेंट, कैटरिंग, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की पुनर्विक्रय पर टैक्स केरैकेडिंग खत्म।
9. उल्टा कर्तव्य संरचना में रिफंड: इनपुट सेवाओं पर भी रिफंड पात्रता – 1 नवंबर 2026 के बाद उपलब्ध क्रेडिट पर लागू। FMCG, फार्मा, ज्वेलरी को फायदा।
10. प्लॉट-मशीनरी पर

- ITC रिफंड: एक्सपोर्ट और इनवर्टेड इयूटी वाले करदाता प्लॉट-मशीनरी के ITC पर रिफंड ले सकेंगे – 1 अप्रैल 2027 से प्रभावी। हर महीने 1/60वां हिस्सा रिफंड।
11. तेज रिफंड प्रणाली: पावती 15 दिन से घटाकर 10 दिन, 10 दिन में जवाब न आए तो स्वतः स्वीकृति, 90% रिफंड जोखिम आधारित प्रणाली से 3 कार्य दिवस में, एक्ससे बैलेंस का पूर्ण ऑटोमेशन।
12. पंजीकरण सरलीकरण: कुछ संशोधन ऑटो-अप्रूव, छोटे ई-कॉमर्स विक्रेताओं के लिए सरल पंजीकरण, बिना हर राज्य में ऑफिस के सभी राज्यों में सप्लाई।
13. रिटर्न सुधार सुविधा: गलत GSTIN, गलत ITC फ्लो को Invoice Management System (IMS) से सुधार सकेंगे।
14. IMS सुदृढ़: प्राप्तकर्ता GSTIN की त्रुटियों

- को ठीक करने में IMS का अधिक उपयोग, बेहतर मिलान, कम विवाद।
15. छोटे करदाताओं के लिए वार्षिक रिटर्न विकल्प: 5 करोड़ तक टर्नओवर वाले केवल B2C सप्लायर करने वालों के लिए तिमाही भुगतान के साथ वार्षिक रिटर्न – विस्तृत फ्रेमवर्क अगली बैठक में।
16. पारगमन निरीक्षण पर रोक: अब केवल उद्गम और गंतव्य राज्य ही माल को रोककर जांच कर सकेंगे – बार-बार जांच से उत्पीड़न खत्म।
17. सेवा निर्यात को राहत: विदेशी शाखा के जरिए विदेशी ग्राहक को सेवा देने वाली भारतीय कंपनी को निर्यात लाभ मिलता रहेगा – प्रतिबंधात्मक शर्त हटेगी।
- Key Takeaway: कम मुकदमेबाजी, आसान अनुपालन, तेज रिफंड, अधिक निश्चितता – एक मजबूत भारत के लिए सरल GST।

Parivahan Vishesh Newspaper

परिवहन विशेष • दैनिक समाचार पत्र



संस्करण: अक्टूबर 2026 | VOL. 23 • EDITION 289

57वीं GST परिषद बैठक - व्यापार के लिए बड़ी राहत

57th GST Council Meeting – Major Relief for Businesses

8 October 2026 • Bharat Mandapam, New Delhi • Key Decisions At a Glance

1

No GST Rate Changes

दरों में कोई बदलाव नहीं

Current GST rates remain unchanged across all goods & services. स्थिरता सुनिश्चित, किसी भी दर में संशोधन नहीं।

2

Relief on Arrest and Prosecution

गिरफ्तारी-प्रॉसेक्यूशन में राहत

Arrest powers removed. Prosecution threshold raised from ₹1Cr to ₹5Cr. गिरफ्तारी के अधिकार समाप्त; अभियोजन सीमा अब ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़।

3

Lower General Penalty

सामान्य जुर्माना में कमी

General penalty reduced from ₹25,000 to ₹10,000. सामान्य दंड अब ₹25,000 से घटाकर ₹10,000 किया गया।

4

No Notice for Small Amounts

छोटे मामलों में नोटिस नहीं

No notice for tax amounts below ₹10,000. ₹10,000 से कम राशि पर कोई नोटिस नहीं जारी होगा।

5

Standardization of GST Proceedings

GST कार्यवाही का मानकीकरण

Uniform process across states for assessments & hearings. सभी राज्यों में मूल्यांकन और सुनवाई के लिए एकसमान प्रक्रिया।

6

Protection for Genuine ITC Claimants

वैध ITC दावेदारों को सुरक्षा

Safeguard for genuine Input Tax Credit claims from वैध ITC दावों को गलत अस्वीकार से सुरक्षा।

7

Broader ITC Availability

ITC की विस्तृत उपलब्धता

ITC now allowed on employee health insurance, etc. कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा आदि पर अब ITC उपलब्ध।

8

Relief for Resold Services

पुनर्विक्रय सेवाओं को राहत

Refund permitted for input services under inverted duty structure. मंजूर रिफंड सेवाओं पर रिफंड की अनुमति।

9

Refund Under Inverted Duty Structure

उल्टा कर्तव्य संरचना में रिफंड

Refund permitted for input services under inverted duty structure. मंजूर रिफंड सेवाओं पर रिफंड की अनुमति।

10

Refund on Plant & Machinery Credit

संयंत्र व मशीनरी क्रेडिट पर रिफंड

Refund now allowed on ITC for Plant & Machinery. संयंत्र एवं मशीनरी पर ITC रिफंड अब अनुमत्य।

11

Faster GST Refund System

तेज रिफंड प्रणाली

Refund acknowledgement reduced from 15 days to 10 days. रिफंड पावती अब 15 दिन से घटकर 10 दिन।

12

GST Registration Simplification

पंजीकरण सरलीकरण

Auto-approval for small e-commerce sellers on registration. छोटे ई-कॉमर्स विक्रेताओं हेतु पंजीकरण पर स्वतः अनुमोदन।

13

Return Rectification Facility

रिटर्न सुधार सुविधा

Taxpayers can now rectify errors in filed returns easily. दाखिल रिटर्न में त्रुटि सुधार की सुविधा अब उपलब्ध।

14

Invoice Management System Strengthening

इन्वॉइस प्रबंधन प्रणाली सुदृढ़

Enhanced IMS for better invoice matching & reconciliation. बेहतर मिलान व समाधान हेतु IMS को मजबूत किया गया।

15

Annual Return Option for Small Taxpayers

छोटे करदाताओं हेतु वार्षिक रिटर्न विकल्प

Annual return facility for B2C taxpayers with turnover up to ₹5Cr. ₹5 करोड़ तक टर्नओवर वाले B2C करदाताओं के लिए वार्षिक रिटर्न विकल्प।

16

Restrictions on Transit Inspections

पारगमन निरीक्षण पर रोक

Transit checks now only at origin & destination points. अब केवल उद्गम व गंतव्य पर ही पारगमन निरीक्षण।

17

Export of Services Relief

सेवा निर्यात को राहत

Simplified procedures & relief for export of services सेवा निर्यात के लिए सरल प्रक्रिया व राहत उपाय।

संजय कुमार बाठला - प्रधान संपादक | Sanjay Kumar Bathla - Editor in Chief | Parivahan Vishesh Newspaper

RNI DELHIN/2023/86499 | संस्करण अक्टूबर 2026

Source: 57th GST Council Meeting Decisions | For details visit: [gst.gov.in](#) | Issued in public interest

डॉ. विजय गर्ग

परिवार मानव समाज की सबसे पुरानी और मजबूत संस्थाओं में से एक है। यही वह स्थान है जहाँ बच्चा प्रेम, विश्वास, जिम्मेदारी, अनुशासन और संवेदनशीलता का पहला पाठ सीखता है। परंपरागत रूप से भारतीय परिवार अपनी पीढ़ियों के बीच मजबूत संबंधों के लिए जाने जाते थे। दादा-दादी, माता-पिता और बच्चे अक्सर साथ रहते थे और जिम्मेदारियाँ साझा करते थे। बुजुर्ग केवल परिवार के सदस्य नहीं होते थे, बल्कि मार्गदर्शक, निर्णयकर्ता, कहानीकार और जीवन के अनुभवों के भंडार होते थे। लेकिन आज परिवारों का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। शहरीकरण, शिक्षा और रोजगार के लिए पलायन, छोटे परिवार, काम का बढ़ता दबाव और तकनीक पर बढ़ती निर्भरता ने पारिवारिक संबंधों को काफी बदल दिया है। इन परिवर्तनों के अनेक लाभ हैं, लेकिन इनके साथ एक गंभीर सामाजिक चिंता भी सामने आई है— बुजुर्गों की बढ़ती उपेक्षा और अकेलापन। संयुक्त परिवारों से छोटे परिवारों तक परंपरागत संयुक्त परिवार बुजुर्गों को साथ और अपनापन देते थे। दादा-दादी पोते-पोतियों के साथ समय बिताते, पारिवारिक निर्णयों में भाग लेते और घर के वातावरण में सक्रिय भूमिका निभाते थे। आज छोटे या एकल परिवार तेजी से सामान्य हो रहे हैं। युवा शिक्षा, नौकरी और बेहतर अवसरों के लिए बड़े शहरों या विदेशों की ओर चले जाते हैं। कई बार उनके माता-पिता अपने गाँव या शहर में अकेले रह जाते हैं। शारीरिक दूरी हमेशा भावनात्मक दूरी नहीं होती, लेकिन कई बार धीरे-धीरे बातचीत और मुलाकातों की कमी रिश्तों में दूरी पैदा कर देती है। फोन कॉल कई बार आमने-सामने की बातचीत का स्थान ले लेती है और वीडियो कॉल साथ बैठने की गर्माहट का विकल्प बन जाती है। जब माता-पिता निर्भर होने लगते हैं बचपन में माता-पिता अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। वे अपना समय, आराम और संसाधन बच्चों की परवरिश और शिक्षा में लगा देते हैं। बच्चे बीमार हों तो रातों को जागते हैं, कठिन निर्णयों में उनका मार्गदर्शन करते हैं और असफलताओं के समय उनका हाँसला बढ़ाते हैं। लेकिन जब माता-पिता वृद्ध होने लगते हैं तो परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। शारीरिक शक्ति कम होती है, स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएँ बढ़ती हैं और दैनिक कार्य भी कठिन हो सकते हैं। इस अवस्था में उन्हें केवल आर्थिक सहायता ही नहीं, बल्कि भावनात्मक साथ की भी आवश्यकता होती है। दुर्भाग्य से कुछ बुजुर्गों को लगने लगता

बदलते परिवार और उपेक्षित बुजुर्ग

है कि वे अपने बच्चों पर बोझ बन गए हैं। यह भावना बेहद पीड़ादायक होती है। जिस व्यक्ति ने दशकों तक परिवार की देखभाल की हो, उसे जब यह महसूस हो कि उसकी बातें, चिंताएँ और यादें सुनने के लिए किसी के पास समय नहीं है, तो यह उसके लिए गहरा भावनात्मक आघात होता है। भीड़ में भी अकेलापन बुजुर्गों की उपेक्षा का अर्थ हमेशा उन्हें छोड़ देना नहीं होता। कई बार उपेक्षा घर के भीतर ही चुपचाप मौजूद होती है। एक बुजुर्ग अपने बच्चों और पोते-पोतियों के साथ रहते हुए भी अकेला महसूस कर सकता है। हर कोई नौकरी, स्कूल, मोबाइल, सोशल मीडिया, टेलीविजन या अन्य कार्यों में व्यस्त हो सकता है। एक ही कमरे में बैठे परिवार के सदस्य भी कई बार अपनी-अपनी डिजिटल दुनिया में खोए रहते हैं। दादा कोई पुरानी याद साझा करना चाहते हैं, लेकिन पोता वीडियो देखने में व्यस्त है। दादी अपने दिन की बात करना चाहती हैं, लेकिन परिवार के अन्य सदस्य अपने मोबाइल या काम में व्यस्त हैं। ऐसे छोटे-छोटे क्षण जब बार-बार दोहराए जाते हैं, तो भावनात्मक दूरी बढ़ सकती है। इसलिए अकेलापन केवल अकेले रहने का नाम नहीं है। किसी का न सुना जाना, महत्वहीन महसूस करना या थला दिया जाना भी अकेलापन है। तकनीक की दूरी तकनीक ने संचार को आसान बनाया है, लेकिन उसने पीढ़ियों के बीच एक नया अंतर भी पैदा किया है। युवा स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और नई तकनीकों का आसानी से उपयोग कर लेते हैं। कई बुजुर्गों के लिए तेजी से बदलती यह दुनिया समझना कठिन हो सकता है। जब बुजुर्ग एक ही बात बार-बार पूछते हैं, तो उनके प्रति अधीर होने के बजाय धैर्यपूर्वक समझाना चाहिए। किसी बुजुर्ग को स्मार्टफोन चलाना या डिजिटल भुगतान करना सिखाना बोझ नहीं, बल्कि पीढ़ियों को जोड़ने का अवसर है। इसी प्रकार बुजुर्गों के पास ऐसा ज्ञान है जिसे इंटरनेट से डाउनलोड नहीं किया जा सकता—रिश्तों, संघर्ष, खेती, स्थानीय इतिहास, परंपराओं, कठिन परिस्थितियों और मानवीय व्यवहार का ज्ञान। तकनीक जानकारी दे सकती है, लेकिन अनुभव दिशा दे सकता है। बुजुर्गों की बुद्धिमत्ता का महत्व

हर बुजुर्ग अपने साथ अनुभवों का एक अनोखा खजाना लेकर चलता है। उन्होंने ऐसे सामाजिक परिवर्तन देखे हैं जिनके बारे में युवा शायद केवल किताबों में पढ़ते हैं। उन्होंने अभाव देखे हैं, कठिनाइयों का सामना किया है, परिवारों को संभाला है और व्यक्तिगत तथा सामाजिक चुनौतियों से निपटा है। उनके अनुभव युवा पीढ़ी को धैर्य, आर्थिक अनुशासन, रिश्तों की समझ, जिम्मेदारी और संघर्ष से आगे बढ़ने जैसे महत्वपूर्ण जीवन-पाठ सिखा सकते हैं। आधुनिक शिक्षा अक्सर डिग्री और करियर पर केंद्रित होती है। लेकिन जीवन में समझदारी, भावनात्मक परिपक्वता और अनिश्चित परिस्थितियों से निपटने की क्षमता भी आवश्यक है। इस प्रकार की शिक्षा में बुजुर्ग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उनकी कहानियाँ भले ही पाठ्य-पुस्तकों में न हों, लेकिन वे जीवन की मूल्यवान शिक्षाएँ हैं। बुजुर्गों के प्रति सोच बदलने की आवश्यकता समस्या केवल बदलते पारिवारिक ढांचे की नहीं, बल्कि वृद्धावस्था के प्रति बदलती सोच की भी है। आज के समाज में युवा होना, तेज होना, अधिक उत्पादक होना और तकनीक का ज्ञान रखना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। नौकरी से सेवानिवृत्ति के बाद कई बुजुर्गों को लगने लगता है कि अब समाज में उनकी कोई उपयोगिता नहीं रही।

लेकिन नौकरी से सेवानिवृत्ति जीवन से सेवानिवृत्ति नहीं है। एक सेवानिवृत्त शिक्षक आज भी बच्चों का मार्गदर्शन कर सकता है। एक सेवानिवृत्त पेशेवर युवाओं को सलाह दे सकता है। एक किसान कृषि का अनुभव साझा कर सकता है। एक दादी पारंपरिक व्यंजन और सांस्कृतिक कहानियाँ अगली पीढ़ी तक पहुँचा सकती है। उम्र शारीरिक शक्ति को कम कर सकती है, लेकिन समझ को बढ़ा सकती है। केवल आर्थिक सुरक्षा पर्याप्त नहीं बुजुर्ग माता-पिता को अधिक सहायता देना आवश्यक है, लेकिन पैसा भावनात्मक साथ का स्थान नहीं ले सकता। कई बुजुर्गों को किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो उनके पास बैठे, उनका हाल पूछे, उनकी चिंताओं को सुने और उन्हें यह महसूस कराए कि वे परिवार के लिए महत्वपूर्ण हैं। कई बार कुछ मिनटों की सच्ची बातचीत महंगे उपहारों से कहीं अधिक मूल्यवान होती है। दादा-दादी और नई पीढ़ी दादा-दादी बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वे कहानियाँ सुना सकते हैं, पारंपरिक खेल सिखा सकते हैं, परिवार का इतिहास साझा कर सकते हैं और वास्तविक जीवन की घटनाओं के माध्यम से मूल्यों की शिक्षा दे सकते हैं। दूसरी ओर, पोते-पोतियाँ भी बुजुर्गों को आधुनिक दुनिया से जोड़ सकती हैं। वे उन्हें

स्मार्टफोन, वीडियो कॉल, ऑनलाइन जानकारी और डिजिटल सेवाओं का उपयोग सिखा सकते हैं। यह दो-तरफा सीखने की प्रक्रिया होनी चाहिए। बुजुर्ग अनुभव और समझ दे सकते हैं, जबकि युवा तकनीकी आत्मविश्वास दे सकते हैं। परिवार क्या कर सकते हैं? इस समस्या के समाधान के लिए हमेशा बड़े कार्यक्रमों या बहुत अधिक धन की आवश्यकता नहीं होती। रोजमर्रा के छोटे-छोटे बदलाव भी बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं। परिवारों को चाहिए कि: - हर दिन बुजुर्गों के साथ कुछ समय अवश्य बिताएं। - उनकी बातों और चिंताओं को धैर्यपूर्वक सुनें। - पारिवारिक निर्णयों में उन्हें शामिल करें। - उन्हें सामाजिक और शारीरिक रूप से सक्रिय रहने के लिए प्रोत्साहित करें। - आवश्यक डिजिटल कौशल सीखने में उनकी सहायता करें। - उनके जन्मदिन और महत्वपूर्ण अवसर मिलकर मनाएं। - उन्हें सैर, यात्राओं और पारिवारिक कार्यक्रमों में साथ ले जाएं। - उनकी भावनात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दें। - उनके साथ दया नहीं, बल्कि सम्मान से व्यवहार करें।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बुजुर्गों को कभी यह महसूस नहीं होना चाहिए कि वे परिवार के लिए अनचाहे या बोझ हैं। समाज की भूमिका यह जिम्मेदारी केवल परिवारों की नहीं है। समाज की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। सीनियर सिटीजन क्लब, पुस्तकालय, सामुदायिक केंद्र, स्वास्थ्य कार्यक्रम और सामाजिक संस्थाएँ बुजुर्गों को सक्रिय रखने के लिए अवसर पैदा कर सकती हैं। स्कूलों में विद्यार्थियों और बुजुर्गों के बीच कहानी-साझाकरण, स्थानीय इतिहास और जीवन-अनुभवों से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। इससे दोनों पीढ़ियों को लाभ होगा। युवा अनुभव से सीखेंगे और बुजुर्ग महसूस करेंगे कि उनका ज्ञान आज भी महत्वपूर्ण है। सम्मान की शुरुआत घर से हम सार्वजनिक मंचों पर बुजुर्गों के सम्मान की बातें करते हैं, लेकिन वास्तविक सम्मान हमारे दैनिक व्यवहार में दिखाने देता है। जब हम बुजुर्ग माता-पिता की बात धैर्य से सुनते हैं, तो वह सम्मान है। जब हम दादा-दादी से सलाह लेते हैं, तो वह सम्मान है। जब हम किसी बुजुर्ग को चलने-फिरने, यात्रा करने या तकनीक का उपयोग करने में मदद करते हैं, तो वह सम्मान है। जब हम अपनी व्यस्त जिंदगी के बावजूद उनके लिए समय निकालते हैं, तो वह सम्मान है।

सम्मान केवल शब्द नहीं, एक व्यवहार है। हर पीढ़ी को साथ लेकर चलने वाले परिवार आधुनिक परिवारों को पूरी तरह पुराने संयुक्त परिवारों की ओर लौटने की आवश्यकता नहीं है। समाज बदल चुका है और कई परिवर्तन आवश्यक भी हैं। लेकिन आधुनिकता का अर्थ मानवीय मूल्यों को भूलना नहीं होना चाहिए। एक छोटा परिवार भी भावनात्मक रूप से मजबूत हो सकता है। कोई बच्चा दूसरे शहर में रहते हुए भी अपने माता-पिता से गहरे रिश्ते बनाए रख सकता है। तकनीक रिश्तों को जोड़ने में मदद कर सकती है, लेकिन उसे प्रेम और व्यक्तिगत साथ का विकल्प नहीं बनना चाहिए। आदर्श परिवार वह नहीं जिसमें हर व्यक्ति एक ही छत के नीचे रहता हो। आदर्श परिवार वह है जिसमें हर सदस्य स्वयं को महत्वपूर्ण, सम्मानित और याद किया हुआ महसूस करे। निष्कर्ष बदलते परिवार सामाजिक विकास का स्वाभाविक हिस्सा हैं। छोटे परिवार, प्रवास, तकनीक और आधुनिक करियर अपने आप में गलत नहीं हैं। समस्या तब शुरू होती है जब प्रगति हमें कृतज्ञता, जिम्मेदारी और मानवीय जुड़ाव से दूर कर देती है। बुजुर्ग समाज के पुराने या अनुपयोगी सदस्य नहीं हैं। वे अनुभव की जीवित पुस्तकालय हैं। उन्होंने अपना जीवन परिवार बनाने, बच्चों को शिक्षित करने और अगली पीढ़ी के लिए अवसर पैदा करने में लगाया है। जीवन के अंतिम पड़ाव में वे केवल आर्थिक सहायता ही नहीं, बल्कि साथ, सम्मान, गरिमा और प्रेम के अधिकारी हैं। जो समाज अपने बुजुर्गों की देखभाल करता है, वह सिद्ध करता है कि उसकी प्रगति में मानवता भी शामिल है। सवाल केवल यह नहीं है कि हमारे बुजुर्ग कितने लंबे समय तक जीवित रहेंगे, बल्कि यह भी है कि वे कितने सम्मानजनक और सार्थक जीवन जी पाएंगे। जिन हाथों ने हमें बचपन में संभाला था, हो सकता है आज उन्हीं हाथों को हमारे सहारे की आवश्यकता हो। जिन आवाजों ने कभी हमें जीवन की राह दिखाई थी, हो सकता है आज वे आवाजें किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रही हों जो उन्हें ध्यान से सुनें। बदलते परिवारों का अर्थ रिश्तों का समाप्त होना नहीं होना चाहिए। आधुनिक जीवन हमें प्रगति दे, लेकिन प्रेम और संवेदनशीलता परिवारों को जोड़े रखे। रिटायर्ड प्रिंसिपल। एमिनेंट साइंटिस्ट स्ट्रीट कौर चंद, मलोट, पंजाब — 152107

सरकारी जमीनों के निजी पट्टे में तब्दील होने का आरोप, कुछ सौ करोड़ की संपत्ति पर उठे सवाल



डॉ राजकुमार यादव

परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक

खाता संख्या 506 की सार्वजनिक उपयोग वाली जमीनों से लेकर राजा बगीचा तक विवाद; पुराना बस्ती प्राथमिक विद्यालय, पोस्टमार्टम हाउस और मकर मेला मैदान की भूमि को लेकर क्षेत्रवासियों में रोष, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक संलग्न मामला पहुंचाने की तैयारी

***राउरकेला/बामड़ा ***

सरकारी जमीन आखिर किसकी है— जनता की या निजी दावेदारों की ? सार्वजनिक उपयोग के लिए सुरक्षित भूमि यदि निजी पट्टों में दर्ज होने लगे, तो सवाल केवल जमीन के स्वामित्व का नहीं, बल्कि सरकारी अभिलेखों की विश्वसनीयता, प्रशासनिक जवाबदेही और जनहित की रक्षा का भी है। गोविंदपुर यूनिट-1 के पूरुना बस्ती प्राथमिक विद्यालय सहित आसपास की कई सरकारी सह सार्वजनिक एवं महत्वपूर्ण जमीनों को लेकर उठे



विवाद ने अब यही सवाल खड़ा कर दिया है। क्षेत्रवासियों के आरोपों के अनुसार, खाता संख्या 506 के अंतर्गत दर्ज सार्वजनिक उपयोग की जमीनों में पूर्णा बस्ती प्राथमिक विद्यालय की 60 डिसमिल से अधिक भूमि, पोस्टमार्टम हाउस, मकर मेला मैदान तथा अन्य महत्वपूर्ण भूखंड शामिल हैं। आरोप है कि इन जमीनों को अनिमित्यता सह निजी पट्टों में दर्ज कर दिया गया। इसी तरह, सरकारी उद्यानिकी विभाग से संबंधित बताई जा रही राजा बगीचा की जमीन के भी निजी पट्टे में तब्दील होने का मामला सामने आया है। हालांकि, इन दावों की वास्तविक स्थिति संबंधित राजस्व अभिलेखों और पट्टा आदेशों के स्वतंत्र जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

कब्जे के आधार पर पट्टा देने के आरोप ने बढ़ाई चिंता

क्षेत्रवासियों का आरोप है कि कुछ मामलों में मूल (बेसिक) पट्टा या वैध



स्वामित्व के पर्याप्त दस्तावेजों के बिना, कब्जे और चुनिंदा कागजात के आधार पर निजी अधिकार दर्ज किए गए। यदि ऐसा हुआ है, तो यह कड़ी एवं पारदर्शिता पूर्ण जांच का गंभीर विषय है। सवाल है कि सार्वजनिक उपयोग की जमीनों की प्रकृति किस आधार पर बदली गई, किस अधिकारी ने अनुमति दी और क्या निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन हुआ ? स्थानीय लोगों का दावा है कि विवादित भूमि का कुल बाजार मूल्य कुछ सौ करोड़ रुपये से भी अधिक हो



औपचारिक याचिका प्रस्तुत करने की तैयारी की जा रही है। क्षेत्रवासियों की मांग है कि खाता संख्या 506, राजा बगीचा व अन्य संलग्न खाता के परिवर्तित आर ओ आर से संबंधित मूल अभिलेखों, पुराने नक्शों, पट्टा आदेशों तथा राजस्व प्रविष्टियों की निष्पक्ष जांच हो। जांच पूरी होने तक विवादित जमीनों पर किसी भी प्रकार के हस्तोत्तरण या निर्माण की स्थिति की भी समीक्षा की जाए। यह मामला केवल जमीन के कागजों का नहीं, बल्कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व जनविश्वास का भी है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो जिम्मेदार लोगों पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई सह बर्खास्तगी होनी चाहिए; और यदि अभिलेखों में कोई गलतफहमी है, तो उसे भी पारदर्शी तरीके से दूर किया जाना चाहिए। अब निगाहें प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं।

मतदाता सूची के मामलों के निस्तारण के लिए निर्धारित की गई समय-सीमा



30नवंबर मतदाता सूची प्रकाशित

डॉ दीपक कुमार घोष

रांची। राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी से प्राप्त आवेदनों के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग से राज्य में चल रहे मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के कार्यों को सम्पन्न करने हेतु अतिरिक्त समय मांगा गया था जिसके आलोक में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संशोधित समय-सारणी जारी की गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को आयोग द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अनुरूप पुनरीक्षण संबंधी सभी कार्य सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार

22 अक्टूबर 2026 तक नो-मैपिंग एवं लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी से संबंधित प्रथम एवं द्वितीय नोटिस का निस्तारण किया जाएगा। 31 अक्टूबर 2026 तक द्वितीय नोटिस के बाद भी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने वाले मतदाताओं का सत्यापन तथा बीएलओ द्वारा होम विजिट से संबंधित कार्रवाई पूरी की जाएगी। साथ ही अन्य श्रेणी के सभी नॉन-नोटिस मामलों का निस्तारण किया जाएगा। 31 अक्टूबर 2026 तक फॉर्म-6, 6A, 7 एवं 8 से संबंधित सभी दावों एवं आपत्तियों का डिजिटाइजेशन किया जाएगा। 11 से 12 नवंबर 2026 तक छूटे हुए पात्र नागरिकों के फॉर्म-6 का होम-टू-रोल सत्यापन एवं डिजिटाइजेशन किया

जाएगा। 11 से 21 नवंबर 2026 तक निस्तारित किए गए सभी नोटिसों की DEO, रोल ऑब्जर्वर एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी स्तर पर जांच एवं सुपर चेंकिंग की जाएगी। 11 से 23 नवंबर 2026 तक ECINET में नेशनल हाउस नंबर, नजरी नक्शा, की-मैप, गुगल मैप एवं मतदान केंद्रों की फोटो को अपडेट किया जाएगा। 123 नवंबर 2026 तक सभी दावों एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। 124 से 29 नवंबर 2026 तक मतदाता सूची के प्राप्त आंकड़ों से संबंधी मानकों की जांच तथा अंतिम प्रकाशन एवं मुद्रण के लिए आयोग की अनुमति प्राप्त करने की कार्रवाई की जाएगी। 30 नवंबर 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

एनजीटी के दिशा-निर्देशों के बीच बसंती कॉलोनी में रेत का कथित अवैध कारोबार बेखौफ !

डॉ राजकुमार यादव

परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक

हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर बालू-गिट्टी का व्यापार, प्रशासनिक कार्यालयों से चंद किलोमीटर की दूरी पर गतिविधियां जारी; निगरानी व्यवस्था और सरकारी जमीन की सुरक्षा पर उठे सवाल

राउरकेला। शहर में कथित अवैध रेत परिवहन और बालू-गिट्टी के कारोबार को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि प्रतिबंधित अवधि में भी शहर के विभिन्न इलाकों में रेत की सतत ढुलाई जारी

है। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि बसंती कॉलोनी में हाऊसिंग बोर्ड कार्यालय के समक्ष हाउसिंग बोर्ड की बताई जा रही सरकारी जमीन पर बालू-गिट्टी का अवैध कारोबार फैलने के आरोप सामने आए हैं। स्थानीय स्तर पर सवाल उठ रहा है कि संबंधित विभागों की निगरानी के बावजूद यह गतिविधि आखिर कैसे जारी है ?

स्थानीय सूत्रों के आरोपों के अनुसार, एक सरकारी कर्मचारी ने ही हाउसिंग बोर्ड की आड़ में कथित रूप से जमीन पर कच्चा कर वहां व्यावसायिक गतिविधियां शुरू कर रखी हैं। यह भी आरोप लगाया जा

रहा है कि कुछ निचले स्तर के अधिकारियों की कथित मिलीभगत से कारोबार निर्बाध चल रहा है। हालांकि, जमीन के स्वामित्व, कब्जे की वैधता और अधिकारियों की संभावित संलिप्तता की स्वतंत्र पुष्टि अभी आवश्यक है।

नियम स्पष्ट, निगरानी पर सवाल

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सतत रेत खनन प्रबंधन संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। वहीं, ओडिशा सरकार ने भी राज्य में रेत खनन को व्यवस्थित और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए कथित

दिशा-निर्देश जारी किए थे। राज्य में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर नियंत्रण के लिए नियम भी लागू हैं।

गौरतलब है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में वर्ष 2022 में राउरकेला में अवैध रेत खनन से संबंधित मामला भी दर्ज हुआ था। इससे स्पष्ट है कि यह विषय पहले भी पर्यावरणीय और प्रशासनिक चिंता का कारण बन चुका है।

जांच और जवाबदेही जरूरी

अब सवाल है कि संबंधित जमीन का वास्तविक मालिकाना हक किसके पास है, कारोबार के

लिए अनुमति ली गई है या नहीं और परिवहन की वैधता की जांच कौन कर रहा है ? जिला प्रशासन, राजस्व विभाग, खनन विभाग और नगर निकाय को संयुक्त निरीक्षण कर वस्तुस्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

यदि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा या बिना वैध अनुमति कारोबार की पुष्टि होती है, तो नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही, कथित मिलीभगत की निष्पक्ष जांच खनन व राजस्व विभाग सहित अन्य विभागों की भी लगातार निगरानी जरूरी है। सार्वजनिक संपत्ति का पालन केवल कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए।



सुंदरगढ़ में खनिज निधि के ₹ 59.13 करोड़ के खर्च पर कैग की गंभीर आपत्ति

खदान और औद्योगिक श्रमिकों को सुरक्षा किट देने में नियमों की अनदेखी का आरोप; डीएमएफ की राशि से खर्च को बताया नियम विरुद्ध

डॉ राजकुमार यादव

परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक

राउरकेला, 9 अक्टूबर। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में जिला खनिज प्रतिष्ठान (डीएमएफ) निधि के उपयोग को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की नवीनतम रिपोर्ट में नवंबर 2021 से दिसंबर 2023 के बीच खदानों और औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट तथा अन्य सामग्री उपलब्ध कराने पर खर्च किए गए ₹ 59.13 करोड़ को लेकर आपत्ति दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार, उपलब्ध बिलों और भुगतान अभिलेखों की जांच में सामने आया कि इस अवधि में 44, 120 श्रमिकों को सुरक्षा किट उपलब्ध कराने के लिए डीएमएफ निधि से उक्त राशि खर्च की गई। कैग ने इस व्यय को ओडिशा जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2015 के प्रावधानों के विपरीत बताया है।



निविदा प्रक्रिया और स्वीकृति पर सवाल

रिपोर्ट के मुताबिक, जून 2021 में सुरक्षा किट की आपूर्ति के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे। जुलाई 2021 में निविदा समिति ने प्रति किट 13,400 की कीमत निर्धारित कर तीन आपूर्तिकर्ताओं को अधिकृत किया। इसके बाद सितंबर 2021 में एक आपूर्तिकर्ता को 14,050 श्रमिकों के लिए 18.83 करोड़ की किट आपूर्ति का प्रस्ताव अंतिम रूप दिया गया। हालांकि, इस परियोजना को औपचारिक मंजूरी 31 अगस्त 2023 को डीएमएफ न्यास मंडल की दसवीं बैठक में मिली।

कैग ने कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 70(1) का हवाला देते हुए कहा कि श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण की जिम्मेदारी संबंधित सार्वजनिक एवं निजी प्रतिष्ठानों की होती है। ऐसे में प्रतिष्ठानों की जिम्मेदारी के लिए खनिज निधि का इस्तेमाल करने पर सवाल उठाए गए हैं।

कीमत और लाभार्थियों की संख्या भी जांच के दायरे में

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, प्रारंभिक निविदा 9 जून 2021 को 10,000 खदान श्रमिकों के लिए जारी हुई थी। बाद में लाभार्थियों की संख्या बढ़ाए जाने और अलग

निविदा के बिना आपूर्ति विस्तार के आरोप सामने आए। सुरक्षा किट की निर्धारित कीमत और वास्तविक बाजार मूल्य के बीच अंतर को लेकर भी अनियमितता की आशंका जताई गई है।

कैग ने स्पष्ट किया कि सरकार ने खर्च को खनन प्रभावित क्षेत्रों के श्रमिकों के हित में बताया था, लेकिन इससे नियमों के अनुपालन का प्रश्न समाप्त नहीं होता। अब इस मामले में जवाबदेही तय करने, अभिलेखों की निष्पक्ष जांच और सार्वजनिक धन के उपयोग की पारदर्शिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

आय से अधिक संपत्ति के आरोप में ओडिशा विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई



Double storied building at Baliantha Phase-2, M-105, Manchanath Villa, BBSR

सुंदरगढ़/भुवनेश्वर, 9 अक्टूबर। ओडिशा में भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई के तहत विजिलेंस विभाग ने सुंदरगढ़ के मुदा संरक्षण उपनिदेशक सह वाटरशेड परियोजना निदेशक प्रसन्न कुमार पात्र के कथित आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में शुक्रवार को एक साथ आठ ठिकानों पर तलाशी अभियान शुरू किया। इस कार्रवाई से प्रशासनिक महकमे में हलचल मच गई है। जांच का केंद्र अधिकारी की ज्ञात आय के स्रोतों के

सुंदरगढ़/भुवनेश्वर, 9 अक्टूबर। ओडिशा में भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई के तहत विजिलेंस विभाग ने सुंदरगढ़ के मुदा संरक्षण उपनिदेशक सह वाटरशेड परियोजना निदेशक प्रसन्न कुमार पात्र के कथित आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में शुक्रवार को एक साथ आठ ठिकानों पर तलाशी अभियान शुरू किया। इस कार्रवाई से प्रशासनिक महकमे में हलचल मच गई है। जांच का केंद्र अधिकारी की ज्ञात आय के स्रोतों के



कर्मियों की टीम तैनात की गई है।

तीन शहरों में फैला तलाशी अभियान

विजिलेंस की टीमें भुवनेश्वर, सुंदरगढ़ और कटक जिले में स्थित कुल आठ ठिकानों की जांच कर रही हैं। इनमें भुवनेश्वर के नयापल्ली स्थित श्रावणी रेजिडेंसी का एक फ्लैट तथा मंचनाथविला के एम-105, एम-110 और एम-115 में स्थित तीन अलग-अलग शांतिजिला आवासीय भवन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त बालियंता क्षेत्र में स्थित एक अन्य आवासीय भवन की भी तलाशी ली जा रही है।

सुंदरगढ़ में अधिकारी के कार्यालय स्थित कक्ष और कार्यालय के सामने मौजूद सरकारी आवास को भी जांच के दायरे में रखा गया है। वहीं, कटक जिले के बांकी थाना क्षेत्र के चर्चिका गांव में स्थित उनके ससुराल के आवास पर भी विजिलेंस टीम तलाशी ले रही है।

प्रभाष गुप्ता 'राष्ट्रीय एकता मंच' के झारखण्ड प्रदेश के प्रान्तीय उपाध्यक्ष बनाये गये



परिवहन विशेष न्यूज

देवघर। राष्ट्रीय एकता मंच के अखिल भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री रामजी लाल वैष्णव जी ने राष्ट्र-भक्ति, सेवा, निष्ठा, सहयोग व समर्पण को देखते हुए श्री प्रभाष गुप्ता को मंच का झारखण्ड प्रदेश का प्रान्तीय उपाध्यक्ष बनाया है। और उम्मीद

जतायी है, कि श्री गुप्ता संगठन की विचारधारा, उद्देश्यों एवं नीतियों के अनुरूप कार्य करते हुए प्रदेश के संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे। प्रदेश उपाध्यक्ष बनाये जाने पर श्री प्रभाष गुप्ता ने कहा कि सेवा, सहयोग, संस्कार, समर्पण, शांति, न्याय और एकता के साथ हमें जो जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष

द्वारा दी गई है, उसका हम पूरी निष्ठा से सफलतापूर्वक निर्वहन करेंगे। इस अवसर पर मित्र-शुभचिंतक, नाते- रिश्तेदार, नगरवासी, समाजसेवी एवं गणमान्य लोगों ने खुशी व्यक्त करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने पर शुभकामनाएं व बधाइयां दी।

टैपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत

https://tolwa.com/about.html | tolwaindia@gmail.com, tolwadelhi@gmail.com

आज का साइबर सुरक्षा विचार

फिशिंग, OTP स्कैम और फर्जी लिंक से बचें -

विशेषज्ञ परिचय: पिंकी कुंडू - सामाजिक परामर्शदाता (Digital Safety Awareness & Counseling)

1. तथ्य क्या है - आज का खतरा ?
- भारत में रोजाना 7000+ साइबर शिकार्यें http://cybercrime.gov.in पर।
- 90% फ्रॉड की शुरुआत एक अनजान लिंक, APK फाइल या OTP शेयर से।
- त्योहारी सीजन में फर्जी कूरियर, बिजली बिल, नौकरी और UPI कैशबैक के नाम पर ठगी बढ़ी।

2. मुख्य बिंदु - 5 बड़े साइबर जाल
A. सुरक्षित सुरक्षा शील्ड: अपना मोबाइल और लैपटॉप अपडेट रखें, एंटीवायरस और स्क्रीन लॉक अनिवार्य।
B. मजबूत पासवर्ड व लॉक: हर अकाउंट का अलग पासवर्ड, 2-Step Verification ऑन करें।
C. फिशिंग ईमेल से सावधान: फर्जी वेबसाइट (SBI, IRCTC, Amazon जैसी दिखने वाली) से डेटा चोरी। लिंक पर क्लिक से पहले URL जांचें।
D. मोबाइल फ्रॉड से सतर्क: अनजान नंबर से आए कॉल पर बैंक बनकर पैसा/जानकारी मांगना - तुरंत कॉल काटें और ब्लॉक करें।
E. OTP स्कैम से बचें: कोई भी बैंक, पुलिस, कस्टमर केयर OTP नहीं मांगता। OTP = आपका पैसा।

3. साइबर फ्रॉड से बचाव के 6 सुनहरे नियम (जनहित में)
1. अज्ञात लिंक या संदिग्ध SMS/WhatsApp पर क्लिक न करें - फर्जी वेबसाइट से डेटा चोरी हो सकता है।
2. अपना OTP, बैंक विवरण, आधार, पैन किसी के साथ साझा न करें।
3. अनजान नंबर से आए कॉल पर पैसा/जानकारी मांगे तो तुरंत कॉल काटें और ब्लॉक करें।
4. UPI या बैंकिंग के लिए केवल आधिकारिक ऐप ही उपयोग करें; अनजान ऐप/ APK डाउनलोड न करें।
5. सोशल मीडिया पर लॉटर, गिफ्ट, नौकरी का लालच - 100% फ्रॉड मानें।
6. ठगी होने पर तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें - पहले 2 घंटे गोल्डन ऑवर होते हैं।

4. संवैधानिक अधिकार और कानून
- IT Act, 2000 धारा 66C, 66D: पहचान की चोरी और ठगी पर 3 साल तक सजा।
- BNS धारा 318 (ठगी), 319: साइबर धोखाधड़ी दंडनीय अपराध।
- अनुच्छेद 21: निजता और डेटा सुरक्षा जीवन के अधिकार में शामिल।

संपादकीय टिप्पणी - पिंकी कुंडू जी की ओर से:
> 'सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। एक क्लिक आपका खाता खाली कर सकता है, एक कॉल पर ब्लॉक करना आपका खाता बचा सकता है। जागरूकता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।'

विशेषज्ञ

साइबर सुरक्षा अलर्ट - आज का अपडेट

सुरक्षा दर सुरक्षा - विशेषज्ञ रिपोर्ट

आज के प्रमुख साइबर खतरे:

सुरक्षित सुरक्षा शील्ड - अपने डिवाइस को एंटी-वायरस व फ़ायरवॉल से सुरक्षित रखें

मजबूत पासवर्ड - 12+ अक्षर, अंक, स्पेशल कैरेक्टर का उपयोग करें

फिशिंग ईमेल से सावधान - अज्ञात लिंक/अटैचमेंट न खोलें

मोबाइल फ्रॉड - OTP/बैंक जानकारी फोन पर किसी को न बताएं

OTP स्कैम - कोई भी OTP किसी के साथ साझा न करें

पिंकी कुंडू

सामाजिक परामर्शदाता
डिजिटल सुरक्षा जागरूकता

संजय कुमार बाठला - प्रधान संपादक | Sanjay Kumar Bathla - Editor in Chief | Parivahan Vishesh Newspaper

साइबर हेल्पलाइन 1930 www.cybercrime.gov.in

RNI DELHIN/2023/86499 | संस्करण अक्टूबर 2026

फुटर :
विश्लेषण - पिंकी कुंडू - सामाजिक परामर्शदाता | डिजिटल सुरक्षा जागरूकता

एवं परामर्श
प्रस्तुति - संजय कुमार बाठला - प्रधान संपादक | Sanjay Kumar Bathla - Editor in Chief | Parivahan Vishesh Newspaper | RNI DELHIN/2023/86499

झारखंड में सरकारी डॉक्टरों की कमी अब दक्षिण भारतीय चिकित्सक करेंगे

डा॰ नेहा अरोड़ा, ललित शुक्ल तथा शशि प्रकाश को दी गयी जिम्मेदारी

कार्तिक कुमार परिष्का, स्टेट हेड झारखंड

रांची, सरकारी अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिए दक्षिण भारत के राज्यों से चिकित्सक बहाल करने की तैयारी है। 1,200 चिकित्सकों की अनुबंध पर नियुक्ति इन राज्यों से करने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने चेन्नई, केरल, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे शहरों से चिकित्सकों को झारखंड लाने के लिए दो विशेष टीम में गठित की हैं। पहली टीम का नेतृत्व स्वास्थ्य विभाग की विशेष सचिव डॉ. नेहा अरोड़ा करेंगी, जिसमें संयुक्त सचिव ललित शुक्ला शामिल रहेंगे। दूसरी टीम का नेतृत्व राष्ट्रीय स्वास्थ्य

अभियान, झारखंड के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा करेंगे। इन टीमों के माध्यम से चिकित्सकों की उपलब्धता, नियुक्ति की संभावनाओं और उन्हें झारखंड में उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं पर काम किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह तथा अभियान निदेशक ने टीम गठित करने की जानकारी शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को दी। साथ ही बिड़ के माध्यम से 306 सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सकों और

धनबाद कोयला चोरी में माफिया ,पुलिस एवं नेता की गठजोड़: बाबूलाल

बीसीसिएल एम डी को मारने की धमकी के बाद नेता प्रतिपक्ष ने पुलिस पर बड़ा हमला बोला

कार्तिक कुमार परिष्का, स्टेट हेड झारखंड

रांची, झारखंड के धनबाद में कोयला चोरी चरम पर है। सीधे कहें तो यह एक संस्थागत रूप ले चुका है। आरोप है कि कोयला चोरी के सिंडिकेट में कोयला माफिया, पुलिस, कतिपय जनप्रतिनिधि और कोयला कंपनियों के कुछ अधिकारी भी शामिल हैं। इस बीच, कोल इंडिया की अनुमति इकाई बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल को कथित रूप से जान से मारने की धमकी मिलने के बाद झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने धनबाद पुलिस पर बड़ा हमला बोला है। मरांडी ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा है- धनबाद में अब सवाल सिर्फ कोयला चोरी का नहीं, बल्कि

कथित पुलिस-कोयला माफिया गठजोड़ का भी है। केंद्र सरकार के अधीन एजेंसियों और सीआइएसएफ द्वारा अवैध कोयला कारोबार पर शिकंजा कसते ही आखिर किसके इशारे पर बीसीसीएल और उसके अधिकारियों पर दबाव बढ़ने के आरोप लग रहे हैं? वैध कोयला डोने वाले वाहनों को रोकना, मुकदमों में उलझाना और अब छाताबाद भू-धंसान मामले में बीसीसीएल के सीएमडी मनोज अग्रवाल तक को आरोपी बनाना। ये महज संयोग है या किसी बड़े खेल की कड़ियां?

विशेषज्ञ

साइबर सुरक्षा अलर्ट - आज का अपडेट

सुरक्षा दर सुरक्षा - विशेषज्ञ रिपोर्ट

आज के प्रमुख साइबर खतरे:

सुरक्षित सुरक्षा शील्ड - अपने डिवाइस को एंटी-वायरस व फ़ायरवॉल से सुरक्षित रखें

मजबूत पासवर्ड - 12+ अक्षर, अंक, स्पेशल कैरेक्टर का उपयोग करें

फिशिंग ईमेल से सावधान - अज्ञात लिंक/अटैचमेंट न खोलें

मोबाइल फ्रॉड - OTP/बैंक जानकारी फोन पर किसी को न बताएं

OTP स्कैम - कोई भी OTP किसी के साथ साझा न करें

पिंकी कुंडू

सामाजिक परामर्शदाता
डिजिटल सुरक्षा जागरूकता

संजय कुमार बाठला - प्रधान संपादक | Sanjay Kumar Bathla - Editor in Chief | Parivahan Vishesh Newspaper

साइबर हेल्पलाइन 1930 www.cybercrime.gov.in

RNI DELHIN/2023/86499 | संस्करण अक्टूबर 2026

फुटर :
विश्लेषण - पिंकी कुंडू - सामाजिक परामर्शदाता | डिजिटल सुरक्षा जागरूकता

एवं परामर्श
प्रस्तुति - संजय कुमार बाठला - प्रधान संपादक | Sanjay Kumar Bathla - Editor in Chief | Parivahan Vishesh Newspaper | RNI DELHIN/2023/86499

रोग, रिपु और ऋण का भाव है कुंडली का षष्ठ भाव

पं योगेश पौराणिक ज्योतिषाचार्य (इंजी) परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक

जन्म कुंडली के छठे भाव से हम जीवन में होने वाले रोग के विषय में जान सकते हैं। इसके अलावा ऋण कितना होगा और शत्रु कितने और कैसे होंगे, वो बाहरी होंगे अथवा पारिवारिक होंगे इस के विषय में पता लगाया जा सकता है। काल पुरुष की कुंडली में छठे भाव में कन्या राशि आती है जिनके स्वामी बुध है। वहीं छठे भाव के कारक ग्रह मंगल और केतु है। इस भाव में दाहिने पैर का भी विचार किया जाता है। इस भाव में शुभ ग्रह कुछ कम जोर परिणाम देते हैं वहीं कूर ग्रह अच्छा परिणाम देते हैं। छठे भाव को प्रतिस्पर्धा का भाव भी माना जाता है। छठे भाव में प्रत्येक ग्रह का प्रभाव सूर्य: छठे भाव में सूर्य होने से जातक शासकीय क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। यहां बैठा सूर्य प्रतिस्पर्धा में विजय दिलाते वाला और शत्रुहता योग देता है। यहां बैठा सूर्य व्यक्ति को कानून या चिकित्सा के क्षेत्र में उच्च पदासीन करवाता है। वहीं यदि सूर्य पीड़ित अथवा कमजोर हो तो पैरों में दिक्कत, हड्डी तथा आंख संबंधित रोग और गुप्त शत्रुओं से परेशानी दिलवाते हैं और पिता के साथ भी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। चंद्र: छठे भाव में चंद्र हो तो जातक कुपालु, दयालु स्वभाव का और दूसरों की मदद करने वाला होता है। ऐसा जातक सफल और प्रसिद्ध समाज सेवी बनता है। छठे भाव में चंद्र होने से जातक नर्सिंग या चिकित्सा के क्षेत्र में या

जल अथवा दवा से जुड़े व्यापारों में सफलता प्राप्त करता है। यदि चन्द्र पीड़ित हो तो इन्हें प्रेत बाधा, तनाव इत्यादि से परेशान होना होता है साथ ही माता के स्वास्थ्य में भी दिक्कत लाता है।

मंगल : छठे भाव में मंगल व्यक्ति को अत्यंत पराक्रमी, उत्साही, झगड़ालू, निडर और शत्रुहता बनाता है। ऐसा जातक खेल, पुलिस, सेना, वाद विवाद और वकालत आदि के माध्यम से समाधान करता है। इनके पैरों में हमेशा कोई न कोई चोट अवश्य लगती है। तेज चलने की आदत होती है और बिना विचारों निर्णय लेना इन्हें नुकसान में डाल देती है। बाईं आंख में भी कुछ दिक्कत हो सकती है। अग्नि और मुकदमेबाजी से इन्हें सावधान रहना चाहिए।

बुध: यहां बैठा बुध व्यक्ति को अत्यंत बुद्धिमान और कुशल वक्ता बनाता है। ऐसा जातक शत्रुओं को भी अपनी बुद्धि से जीत लेता है। यहां बैठा बुध कुशल व्यापारी और गणितज्ञ बनता है। इनसे व्यापार संबंधित सलाह लेना उत्तम होता है। छठे भाव का बुध होने से व्यक्ति चार्टर्ड एकाउंटेंट और बड़ा वकील या सलाहकार बनने में सफल होता है। यहां बुध यदि पीड़ित हो तो स्नायु, त्वचा जन्य रोग और एलर्जी देते हैं। गुरु : छठे भाव में बैठा गुरु ज्यादा शुभकारी नहीं माना जाता हालांकि व्यक्ति की ज्ञान और बौद्धिक क्षमता काफी अच्छी रहती है। ऐसा जातक शत्रुओं को अपने ज्ञान और बुद्धि के बल पर मित्र बना लेता है। पेट के रोग इन्हें घेरे रहते हैं और मोटापा भी तेजी से बढ़ता है। इन्हें कर्ज लेने से बचना चाहिए और नित्य व्यायाम करने की सलाह दी जाती है।

शुक्र: छठे भाव में शुक्र होने से जातक कुशल तार्किक ज्ञान रखता है। तर्क से ही विवादों को सुलझाने में माहिर होता है। इन्हें लकड़ी और जेंटल दिखना पसंद होता है। हालांकि वैवाहिक जीवन और प्रेम सम्बन्धों में इन्हें दिक्कत का सामना करना होता है। सच छिपाने में भी माहिर होते हैं। विपरीत लिंग के लोग इनके गुप्त शत्रु बन सकते हैं। इन्हें मधुमेह, किडनी जैसे रोग और

सत्य, त्याग और निष्ठा के साक्षात प्रतीक थे उत्कलमणि गोपबंधु दास : मनमोहन सामल

मनोरंजन शासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भुवनेश्वर: उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास ओड़िशा के विश्वास और विश्वसनीयता के प्रतीक हैं। वे केवल उत्कल के ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के रत्न थे। वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी, कवि, लेखक तथा दैनिक समाचार पत्र 'समाज' और पत्रिका 'सत्यवादी' के संस्थापक थे। वे सत्य, त्याग और निष्ठा के साक्षात प्रतीक थे। ओड़िशा के इस महान विभूति एवं महान सपूत की 149वीं जयंती के अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री मनमोहन सामल ने भुवनेश्वर स्थित गोपबंधु चौक पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष श्री सामल ने कहा कि उत्कलमणि गोपबंधु दास हर कठिन परिस्थिति में आम लोगों के साथ खड़े रहते थे। इसी कारण वे स्वयं में एक संस्था बन गए थे। पराधीन भारत में उन्होंने लोगों को प्रेरित कर जिस तरह लाखों लोगों का विश्वास हासिल किया, वह हम सभी के लिए सीखने योग्य है। उन्होंने कहा कि गोपबंधु दास ने ओड़िया भाषा के अस्तित्व को मिटाने के प्रयासों के

खिलाफ आवाज उठाई थी। उनका आह्वान था कि प्रत्येक व्यक्ति और राष्ट्र की पहचान उसकी भाषा से होती है। भाषा ही किसी राष्ट्र की प्राण-स्पंदन है। इसी प्रकार, कोलकाता में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के दौरान प्रवासी ओड़िया लोगों की दुर्दशा से व्यथित होकर उन्होंने ओड़िशा श्रमिक संघ और संघा विद्यालय की स्थापना की थी। अलग ओड़िशा प्रांत के गठन में भी उनकी अग्रणी भूमिका रही थी। इस अवसर पर विधायक श्री बाबु सिंह, पूर्व मंत्री श्री अरविंद ढाली, पूर्व विधायक श्री प्रियदर्शी मिश्र, प्रदेश सचिव श्री

सरोज कुमार कर, वरिष्ठ नेता श्री गोलक महापात्र, डॉ. पूर्णचंद्र मल्लिक, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री शुभांशु मोहन पांडी, प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष डॉ. ऐश्वर्या बिश्वाल, भुवनेश्वर जिला अध्यक्ष निरंजन मिश्र, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जगन्नाथ प्रधान एवं रश्मि महापात्र तथा प्रदेश सोशल मीडिया संयोजक श्री ज्योति रंजन नायक सहित अनेक पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने उत्कलमणि गोपबंधु दास को श्रद्धांजलि अर्पित की।

पूर्व तट रेलवे के महाप्रबंधक ने एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता एवं खेल अधिकारी अमित रोहिदास को किया सम्मानित

मनोरंजन शासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भुवनेश्वर: पूर्व तट रेलवे के महाप्रबंधक श्री परमेश्वर फुंकवाल ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम के स्वर्ण पदक जीत में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया। श्री फुंकवाल ने अमित रोहिदास को इस शानदार उपलब्धि के लिए बधाई दी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके समर्पण, प्रतिबद्धता तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने रोहिदास को युवा हॉकी खिलाड़ियों और भावी खिलाड़ियों के

लिए प्रेरणा का स्रोत बताया। अमित रोहिदास को सम्मानित करते हुए महाप्रबंधक ने खेल के क्षेत्र में उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों की प्रशंसा की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि रोहिदास का अनुभव और मार्गदर्शन युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करेगा तथा पूर्व तट रेलवे में खेल गतिविधियों के विस्तार और प्रोत्साहन में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

स्वामी. मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाठला द्वारा इम्प्रेसज प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, फ़ी-18, 19, 20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होगा। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023